स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

NARCOTICS CONTROL BUREAU

भारत INDIA

आसूचना प्रवर्तन समन्वय

INTELLIGENCE ENFORCEMENT COORDINATION

Say Yes to Life, No to Drugs

NCB DAILY NEWS BULLETIN

No. 697

NEWS INDEX
Date: September 01, 2026

S.No.	Publisher Name	Headline	Page No.
		NEWS SUMMARY	
1		Summary	1-2
		INTERNATIONAL	
2	Amar Ujala	158 ग्राम ब्राउन हेरोइन के साथ दो भारतीय गिरफ्तार	3
		NORTH EAST	
3	Eastern Mirror Nagaland	Nagaland's drug crisis: True numbers could hit 13%, warns DGP	4-5
4	The Times of India	Rs 3 crore Yaba tablets seized in Cachar, 1 held	6
		SOUTH	
5	India Today NE	Tripura Police seize 777 kg ganja worth over Rs 15 crore near Bangladesh border	7
6	The Times of India	Preparing list of wanted drug suppliers: IG	8-9
7	Telangana Today	Hyderabad court sentences man to five years for selling ganja chocolates	10
8	Newsmeter	Telangana Excise books 3,086 cases in 2 months, seizes Rs 4 crore ganja and Rs 50 lakh illegal liquor	11-12
		WEST	
9	Punekar News	Pune Drug Bust: Kondhwa Police Seize Hydroponic Cannabis, Mephedrone Worth Rs 8.13 Lakh	13-14
10	The Times of India	Dhule police seize 330kg of ganja worth Rs 82.5 lakh	15-16
		NORTH	
11	Daily Excelsior	District level NCORD Meeting held at Kathua	17-18
13	Hindustan Times	Ludhiana: Khanna police demolish properties of drug peddlers	19
14	ThePrint	Habitual drug peddler detained under PIT-NDPS Act in J-K's Doda	20
15	Hindustan Times	Punjab: Ferozepur man nabbed with 2kg heroin procured from Pak	21
16	Garhwal Post	Daughters will carry Torch of Awareness against Drug Abuse: Dr Dhan Singh Rawat	22-23
17	The Times of India	16-year-old girl 'strangled' by father, wife alleges he is a drug addict	24
18	Lokmat News	पॉश कैफे से लेकर नाइट पार्टीज तक फैला एमडी का सिंडिकेट, ड्रग तस्करों के जाल में फंस रही यंग जनरेशन	25
19	Himachal Now News	NDPS: कांगड़ा में नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर होगी कार्रवाई, कब्जे हटेंगे	26-27
20	Dainik Bhaskar	गांजा तस्करी में दोषी को 3 साल का कठोर कारावास:शाजापुर कोर्ट ने गांजे के साथ पकड़ने पर सुनाई सजा	28
21	Dainik Bhaskar	पंजाब के अफीम डोडा चूरा तस्कर को 5 साल कारावास	29
22	Amar Ujala	चरस तस्करी में नेपाली नागरिक को साढ़े तीन साल की कैद	30
23	Haldwani Express News	STF का बड़ा ड्रग्स ऑपरेशन, 25 लाख की MDMA के साथ तीन गिरफ्तार	31
24	Dainik Bhaskar	मोगा में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई:3 मामलों में 3 आरोपी गिरफ्तार, 190 नशीली गोलियां और 15 ग्राम हेरोइन बरामद	32
25	Live Hindustan	सेलाकुई में 8.75 ग्राम स्मैक के साथ हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार	33
26	Dainik Bhaskar	22 ग्राम हेरोइन और 15000 रुपए ड्रग मनी सहित काबू	34
27	Dainik Bhaskar	हेरोइन और नशीली गोलियों के साथ 3 गिरफ्तार	35
28	Dainik Bhaskar	जालंधर पुलिस ने 4 नशा तस्कर पकड़े:13 ग्राम हेरोइन और 2 एक्टिवा बरामद, CASO ऑपरेशन चलाया; कोर्ट में पेश कर लेंगे रिमांड	36
29	Dainik Bhaskar	हेरोइन तस्करी के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार	37
30	Amar Ujala	हेरोइन सहित कार सवार दो आरोपियों को दबोचा	38
31	Amar Ujala	9.7 ग्राम स्मैक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार	39
32	Dainik Bhaskar	5.5 लाख की स्मैक के साथ 2 गिरफ्तार:एक हिस्ट्री शीटर सहित दोनों पहले भी जा चुके हैं जेल	40
33	Dainik Bhaskar	20 लाख की स्मैक के साथ 3 आरोपी पकड़े:100 ग्राम स्मैक, बाइक और डेढ़ लाख कैश जब्त; टोंक डीएसटी की कार्रवाई	41
34	Amar Ujala	जेल में चिट्टा पहुंचाने वाले नेटवर्क पर कसा शिकंजा, पांचवीं गिरफ्तारी	42
35	Dainik Bhaskar	45 ग्राम चिट्टा बरामद	43
36	Amar Ujala	ढलियार में 9.30 ग्राम चिट्टे के साथ दो युवक गिरफ्तार	44
37	Dainik Bhaskar	ब्राउन शुगर-शराब के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार	45
38	MP Breaking News	नशे के खिलाफ इंदौर पुलिस का बड़ा एक्शन, 58.84 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त कर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार	46
39	Dainik Bhaskar	ब्राउन शुगर और 32 मोबाइल के साथ 11 आरोपी गिरफ्तार:गंजबासौदा में नशा माफिया पर बड़ी कार्रवाई; अपाचे बाइक और 147 लीटर शराब जब्त	47
40	Dainik Bhaskar	473 ग्राम अवैध अफीम बरामद, तस्कर गिरफ्तार:अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत एक लाख रुपये आंकी गई	48
41	Dainik Bhaskar	सांचौर में घर की अलमारी से अफीम बरामद:एएनटीएफ की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, NDPS एक्ट में केस	49
42	Mediawala	950 ग्राम अफीम के साथ 2 आरोपी पकड़ाए!	50
43	Dainik Bhaskar	अटरू पुलिस की अवैध मादक पदार्थ पर कार्रवाई:20.800 किलो अफीम डोडा-चूरा जब्त, अंधेरी नदी पुलिया पर नाकाबंदी में दो तस्कर गिरफ्तार	51
44	Dainik Bhaskar	रिमांड में आरोपी ने खोला सप्लायर का राज:2.53 किलो चरस और 680 ग्राम अफीम बरामद; झज्जर CIA ने पकड़ा था	52
45	Dainik Bhaskar	अवैध चरस के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा:स्कूटी से परिवहन करते हुए गिरफ्तार, वाहन भी जब्त	53
46	Dainik Bhaskar	कांधला में 500 ग्राम चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार:पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा	54
47	Dainik Bhaskar	मेडिकल स्टोर संचालक के घर से ट्रामाडोल बरामद:एसओटीएफ कुमाऊं ने 9480 कैप्सूल जब्त किए, औषधि निरीक्षक टीम भी शामिल	55
48	Dainik Bhaskar	बस्तर में 28 लाख का 56 किलो गांजा जब्त:एक ओडिशा से स्कूटी से ला रहा था, दूसरे ने जमीन गाड़ा था, दोनों गिरफ्तार	56-57
49	Dainik Bhaskar	गांजा तस्करी में तीसरी गिरफ्तारी, 16 लाख का गांजा जब्त:पुलिस ओडिशा से आरोपी को बालाघाट लाई, नेटवर्क की जांच जारी	58
50	Dainik Bhaskar	जशपुर में 60 किलो गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार:कार में छिपाकर ओडिशा से यूपी ले जा रहा था तस्कर, 40 लाख का सामान जब्त	59
		EAST	
51	Siliguri Times	Man from Sikkim arrested with brown sugar at a lodge near Siliguri Junction	60
52	The Times of India	620 bottles of codeine cough syrup seized in Sambalpur, 2 held	61-62
53	Live Hindustan	3.19 किलो अफीम तस्करी में तीनों को 15-15 साल की सजा	63
54	Dainik Bhaskar	दोमोहनी में 5.16 ग्राम स्मैक बरामद, तस्कर फरार	64
55	Dainik Bhaskar	स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार बाइक और नकदी भी जब्त	65
56	Dainik Bhaskar	मुशहरी में महिला ड्रग पेडलर गिरफ्तार:199 पुड़िया स्मैक, 74 पुड़िया गांजा और ₹36 हजार कैश बरामद	66
57	Dainik Bhaskar	ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार	67
58	Live Hindustan	इंडो-नेपाल बॉर्डर पर 50 ग्राम ब्राउन शुगर संग दो धराए	68
59	Dainik Bhaskar	किशनगंज में ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार:कीमत 10 लाख रुपए, घर से नकदी और इलेक्ट्रॉनिक तराजू मिला, सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू	69
60	Dainik Bhaskar	प्रतिबंधित दवा बेच रहे दुकानदार दबोचे:निशा मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग की कार्रवाई, ट्रामाडोल-डायजेपाम युक्त दवाएं बरामद	70
61	Dainik Bhaskar	बाइक की सीट के नीचे गुप्त तहखाना:रक्सौल में नेपाल से 7 किलो गांजा लेकर पहुंचे 2 तस्कर पकड़े गए, कई इलाकों में होनी थी सप्लाई	71

NEWS SUMMARY

News Summary

Heroin Trafficking

- J&K (Reasi): Over 10 g heroin seized; 4 arrested.
- Punjab (Jalandhar): 13 g heroin seized; 4 arrested.
- Punjab (Moga): 15 g heroin + 190 narcotic pills seized; 3 arrested.
- Punjab (Ferozepur): 2.26 kg heroin seized; 1 arrested.

Synthetic Drugs

- Uttarakhand (Tanakpur): 244.06 g MDMA seized; 3 arrested.
- Assam (Cachar): 10,000 Yaba tablets weighing 1.131 kg seized; 1 arrested.
- Maharashtra (Pune): 12.010 g mephedrone seized; 1 arrested.

Ganja Trafficking

- Chhattisgarh (Bastar): 56 kg ganja seized in two cases; 2 arrested.
- Maharashtra (Dhule): 330 kg ganja plants seized; 1 arrested.
- Chhattisgarh (Jashpur): 60 kg ganja seized; 1 arrested.

Charas

- Haryana (Jhajjar/Gurugram): 2.53 kg charas + 680 g opium seized; 1 arrested.
- Uttarakhand (Tehri): 374 g charas seized; 1 arrested.
- U.P. (Shamli): 500 g charas seized; 1 arrested.

Opium / Poppy Straw

- Rajasthan (Baran): 20.8 kg opium doda-chura seized; 2 arrested.
- Madhya Pradesh (Ratlam): 950 g opium seized; 2 arrested.
- U.P. (Bareilly): 473 g opium seized; 1 arrested.

Pharmaceutical / Codeine

- Odisha (Sambalpur): 620 codeine cough-syrup bottles seized; 2 arrested.

- Bihar (Motihari): Tramadol/diazepam medicines seized; 1 arrested.

Convictions/ Legal Action

- Jharkhand (Ranchi): 3 accused sentenced to 15 years RI each in 3.190 kg opium case.
- Rajasthan (Bhawani Mandi): Accused sentenced to 5 years RI in 20 kg doda-chura case.
- Himachal Pradesh (Rohru): Accused sentenced to 3.5 years RI in 460 g charas case.
- J&K (Doda): Habitual drug peddler detained under PIT-NDPS Act.
- Punjab (Khanna): 3 drug-linked properties targeted; 9 drug-use sites cleared.

Emerging Modus Operandi

- Heroin sourced from Pakistan for inland distribution.
- Brown sugar routed via hotels/lodges for interstate movement.
- Ganja concealed in plastic drums and cultivated in remote forests.
- Ganja covertly grown alongside cotton in forest-border areas.
- Pharmaceuticals diverted through medical stores and unlicensed sales.

Key Trends

- Large-scale ganja seizures persist across inter-state and border corridors.
- Heroin, brown sugar and chitta remain active in northern states.
- MDMA, mephedrone and Yaba continue to feature in seizures.
- Focus shifting to suppliers and network linkages.
- Cross-border and inter-state trafficking remains prevalent.
- Enforcement increasingly targets seizures, assets and trafficking networks.

INTERNATIONAL

158 ग्राम ब्राउन हेरोइन के साथ दो भारतीय गिरफ्तार

अ amarujala.com/uttar-pradesh/maharajganj/two-indians-arrested-with-158-grams-of-brown-heroin-maharajganj-news-c-206-1-mhg1018-184327-2026-09-01

गोरखपुर ब्यूरो August 31, 2026

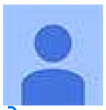

गोरखपुर ब्यूरो Updated Tue, 01 Sep 2026 01:52 AM IST

ठूठीबारी। नवलपरासी जिले के रामग्राम नगरपालिका-एक क्षेत्र में सोमवार को शाम में ब्राउन हेरोइन के साथ नेपाल पुलिस ने महराजगंज के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान दोनों तस्करों को पकड़ने के लिए नेपाल पुलिस के जवानों ने चार राउंड फायरिंग भी की।

जानकारी के अनुसार, नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम) जिले के रामग्राम नगरपालिका-एक क्षेत्र में भारतीय बाइक पर आ रहे दो व्यक्तियों को संदेह के आधार पर रोकने का प्रयास किया। दोनों रुकने के बजाय भागने लगे तो नेपाल पुलिस ने चेतावनी के तौर पर चार राउंड हवाई फायरिंग भी की और दोनों को अपने काबू में ले लिया।

तलाशी लेने पर दोनों के पास से 158 ग्राम ब्राउन हेरोइन बरामद हुई। आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच के लिए दोनों आरोपियों को जिला पुलिस कार्यालय नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम) को सौंप दिया गया है।

ये भी पढ़ें

इस संबंध में नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम पुलिस सूचना अधिकारी प्रहरी उप निरीक्षक दुर्गा प्रसाद रेग्मी ने बताया कि 158 ग्राम ब्राउन हेरोइन के साथ महराजगंज के निचलौल निवासी गिरजेश श्रीवास्तव (33) और दीपक श्रीवास्तव (27) को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से दो मोबाइल फोन, भारतीय नंबर प्लेट की बाइक बरामद किया गया है।

NORTH EAST

Nagaland's drug crisis: True numbers could hit 13%, warns DGP

easternmirrornagaland.com/nagalands-drug-crisis-true-numbers-could-hit-13-warns-dgp

Reyivolü Rhakho June 27, 2026

Updated: August 31, 2026, 4:35 PM

KOHIMA — The actual number of drug users in Nagaland could be almost double the estimated figure, with between 10% and 13% of the state's population possibly using drugs, Director General of Police (DGP) Rupin Sharma said on June 26.

Addressing the observance of International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking, Sharma said that United Nations-backed studies estimate that 5% to 6% of Nagaland's population uses drugs. However, he argued that the actual figure is likely to be much higher because many users do not disclose their drug use during surveys.

“The incidents of drug users in the state are higher—maybe about 10% to 13%,” he suggested.

Referring to the national scenario, Sharma said official estimates indicate that 5% to 6% of India's population uses or abuses drugs.

However, he felt that the actual figure could be 9% to 10%, as many users remain unreported.

The DGP also cautioned civil society organisations (CSOs), village authorities and other bodies against taking the law into their own hands by imposing fines on suspected drug users.

Citing instances where organisations had allegedly detained drug users and imposed penalties, Sharma cautioned that such actions amounted to extortion.

“No NGO or CSO has any authority to impose fines. Their only power is to detain a person, if necessary, and immediately inform the police,” he said.

He urged drug users and members of the public to report incidents in which organisations allegedly collect money from suspects, assuring that police would register such cases as extortion where appropriate.

Sharma also appealed to village councils and student bodies to hand over drug users or peddlers they apprehend to the police instead of dealing with them independently.

He further advised against the practice of excommunicating drug users from villages or colonies, saying it merely shifts the problem elsewhere rather than addressing addiction.

“The best course of action is to report such cases to the police,” he said.

The DGP also warned people not to allow unknown persons to use their bank accounts or keep belongings in their homes, saying they could face prosecution if narcotics are later recovered from their possession.

According to Sharma, Nagaland Police registered 766 cases under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act between 2023 and 2026, arresting 1,174 people, including 958 men and 216 women.

Printed from
THE TIMES OF INDIA

Rs 3 crore Yaba tablets seized in Cachar, 1 held

Aug 31, 2026, 10.26 PM IST

Silchar: Police seized 10,000 suspected Yaba tablets worth Rs 3 crore and arrested a man in Lakhipur on Monday. Acting on information, Lakhipur police intercepted a car at Talengram and recovered the suspected contraband during a search.

The accused was identified as Fakrul Hussain Choudhury (32) of Chengjur Grant in Cachar's Binnakandi area. Police said the tablets weighed around 1.131 kg. The car allegedly used to transport the drugs was also seized.

A case has been registered under relevant provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. Police are investigating the source, intended destination and possible involvement of others.

SOUTH

Tripura Police seize 777 kg ganja worth over Rs 15 crore near Bangladesh border

indiatodayne.in/tripura/story/tripura-police-seize-777-kg-ganja-worth-over-rs-15-crore-near-bangladesh-border-1445061-2026-08-31

Tanmoy Chakraborty August 31, 2026

Tripura Police seize 777 kg ganja worth over Rs 15 crore near Bangladesh border

- Acting on a tip-off, teams searched fields at Matinagar Uttar Para
- Personnel from Sonamura police, BSF and TSR carried out the raid
- The contraband was abandoned and packed inside 29 plastic drums

Tripura Police, along with the BSF and Tripura State Rifles, seized 777.6 kg of dry ganja valued at more than Rs 15 crore during a joint operation in Sepahijala district on Sunday night, August30.

Acting on a tip-off, personnel from Sonamura Police Station, the 81st Battalion of the BSF and the 11th Battalion of the TSR carried out a search near a field at Matinagar Uttar Para in Sonamura subdivision.

Police said the contraband was found abandoned at the site and packed in 29 plastic drums of different sizes. The seized ganja weighed 777 kg and 600 grams, with its estimated market value put at Rs 15.05 crore.

Sonamura police station officer-in-charge Tapas Das said the seizure was made after the team received confidential information about the presence of the narcotics in the area.

Sepahijala shares a significant stretch of its international boundary with Bangladesh, making the district a key area for cross-border smuggling concerns.

Police have started an investigation to identify those behind the storage and possession of the ganja. Investigators are also trying to establish who owned the consignment and where it was intended to be taken.

Printed from
THE TIMES OF INDIA

Preparing list of wanted drug suppliers: IG

TNN | Aug 31, 2026, 09.15 PM IST

Kozhikode: Operation Toofan nodal officer IG Putta Vimaladitya said that police have made commercial quantity narcotics seizures in 165 cases and 395 intermediate quantity cases as part of the anti-drug operation. Over 10,100 persons were arrested under NDPS Act under the operation during the last three months, he told reporters in Kozhikode on Monday.
Vimaladitya said that the primary focus under the drive was to trace the source of these drug networks and in around 32 cases, the authorities were able to identify and arrest key sources, including financial backers, carriers, and main suppliers, alongside the individuals caught during initial detection.

Vimaladitya said the police were investigating possible international supply links, including those involving Afghanistan, Oman and Thailand and were preparing a list of wanted drug suppliers and fugitives who are abroad and was working with other agencies to apprehend them.
He said that lakhs of people have taken the pledge to become Toofan Warriors so far.
“We have received over 10,000 calls, indicating strong public participation. People are reporting matters they observe, and the police are taking appropriate action based on these reports,” he added.

Under the third initiative ‘Toofan Care’ in collaboration with the Indian Medical Association (IMA), police have formed Toofan Care committees across all districts, and two or three meetings have already been held. He said

that in the coming month, we plan to expand counseling and rehabilitation programmes more actively under this initiative.

Meanwhile, home minister Ramesh Chennithala criticized the remarks made by leader of the opposition Pinarayi Vijayan against the govt's sincerity in Op Toofan and said that Vijayan should not have made those remarks. "Op Toofan is the largest narco hunt India has ever seen. We will make no compromises anywhere regarding the drive. There will be no compromise when it comes to criminal investigations," Chennithala said.

"When govt takes up a major programme to dismantle the operations of an international drug lobby that is attempting to destroy our generation in Kerala, if you cannot support it, at least refrain from criticizing it," he added.

Chennithala said during the three months ever since Op Toofan was launched, drugs estimated at Rs 170 crore was seized in over 9,000 cases including 21, 362 gram MDMA and 523g heroine.

Chennithala said that police have arrested two more persons in connection with the seizure of 139g of MDMA from a group of Youth Congress workers at Chandera in Kasaragod. Riya Khan was arrested from Gwalior in Madhya Pradesh and Ghanaian national Victor Dzaba was taken into custody from Kollam.

Hyderabad court sentences man to five years for selling ganja chocolates

telanganatoday.com/hyderabad-court-sentences-man-to-five-years-for-selling-ganja-chocolates

Telangana Today August 31, 2026

Published Date - 31 August 2026, 08:27 PM

Hyderabad: A local court in the city has sentenced a 42-year-old Bihar native to five years' rigorous imprisonment and imposed a fine of Rs 25,000 for selling ganja-laced chocolates.

The convict, Rabindra Behara, was sentenced by Additional District and Sessions Judge M Vani at the LB Nagar court complex on Monday. The case was registered against Behara in 2019 by the Prohibition and Excise Department for allegedly selling ganja chocolates in Shamshabad.

After the trial, the court found Behara guilty and pronounced the sentence. He was sent to prison.

© Copyrights 2024 TELANGANA PUBLICATIONS PVT. LTD. All rights reserved. Powered by Veegam

Telangana Excise books 3,086 cases in 2 months, seizes Rs 4 crore ganja and Rs 50 lakh illegal liquor

newsmeter.in/crime/telangana-excise-books-3086-cases-in-2-months-seizes-rs-4-crore-ganja-and-rs-50-lakh-illegal-liquor-774612

Newsmeter Network August 31, 2026

Published on : 31 Aug 2026 5:43 PM

Hyderabad: Telangana Excise officials have booked 3,086 cases and arrested 2,707 people in a two-month crackdown on illicit liquor, non-duty-paid alcohol and drugs, seizing 872 kg of ganja worth an estimated Rs 4 crore and 2,558 illegal liquor bottles valued at about Rs 50 lakh.

The department has intensified enforcement across the State over the past two months, bringing Excise station personnel into the field along with the Special Task Force (STF), Enforcement and District Task Force (DTF) teams.

3,086 cases, 2,707 arrests

Of the total cases, 1,646 were registered in July and 1,420 in August. Officials arrested 2,707 accused and seized 487 vehicles allegedly used in the illegal activities.

The department’s main focus has been on non-duty-paid liquor (NDPL) and illicitly distilled liquor, which not only pose health risks but also cause revenue losses to the government.

Crackdown on illicit liquor

Excise teams have intensified action against the manufacture of illicitly distilled liquor.

In July, officials seized 6,074 litres of illicit liquor, destroyed 90,740 litres of jaggery wash used in its production and seized 30,329 kg of jaggery.

In August, they seized another 5,010 litres of illicit liquor, destroyed 73,480 litres of jaggery wash and seized 17,840 kg of jaggery.

NDPL smuggling under scanner

The department has also increased surveillance on liquor allegedly being transported into Telangana from places where alcohol is cheaper, including Delhi, Haryana, Goa and Maharashtra.

In August, Metpally Excise officials seized 70 boxes of liquor in one operation and another 30 boxes in a separate operation, allegedly brought from Maharashtra's Bhiwandi and Haveli areas.

Officials have also been checking vehicles near Pahadi Shareef to intercept liquor allegedly transported from Goa via Hyderabad airport.

Buses, trains also being checked

The enforcement drive has now extended to travel buses and trains arriving from Karnataka, Goa, Maharashtra and other tourist destinations.

Over the last two months, Excise officials seized 2,558 liquor bottles, with their value estimated at around Rs 50 lakh.

Rs 4 crore ganja haul

Alongside the liquor crackdown, Excise teams have intensified action against narcotics.

Officials seized 872 kg of ganja valued at around Rs 4 crore during the two months and detected other drug-related cases.

The department said the intensified inspections are aimed at curbing the illegal liquor trade, protecting excise revenue and tightening surveillance on the movement of ganja and other drugs into Telangana.

WEST

Pune Drug Bust: Kondhwa Police Seize Hydroponic Cannabis, Mephedrone Worth Rs 8.13 Lakh

punekarnews.in/pune-drug-bust-kondhwa-police-seize-hydroponic-cannabis-mephedrone-worth-rs-8-13-lakh

Reported by Mubarak Ansari Kondhwa, 31st August 2026: Kondhwa police registered two cases under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act and seized hydroponic cannabis, mephedrone (MD), cash, vehicles and other articles collectively valued at ₹8.13 lakh.

In the first operation, a police team patrolling the Kondhwa area received information about a suspected drug transaction near L.K. Apartments on a public road in Ajmera Park, Kondhwa Khurd. Police intercepted Aamir Akbar Sheikh, 36, a resident of L.K. Apartments, and allegedly recovered 143 grams of hydroponic cannabis valued at ₹5,21,500.

Police also seized ₹3,300 in cash, a Honda two-wheeler valued at ₹25,000, two electronic weighing scales and transparent plastic pouches. The total value of the property seized in this operation was ₹5,49,800. A case was registered against Sheikh under the NDPS Act at Kondhwa police station.

In the second operation, conducted on August 28, police received information that mephedrone was being stored in Room No. 405 of the Paradise Inn Lodge in Kondhwa. Acting on the tip-off received by Police Constable Keshav Hirve, a team raided the room and detained Azim Salim Sheikh, 37, a resident of Kashiwadi in Pune’s Bhawani Peth area.

During the search, police allegedly recovered 12.010 grams of mephedrone valued at ₹2,42,600, ₹5,500 in cash, two mobile phones valued at ₹16,000 and 15 injection syringes. The total seizure in the second case was valued at ₹2,64,000. A separate NDPS Act case was registered against the accused.

“Kondhwa police have intensified action against the illegal sale, possession and consumption of narcotic substances. Strict legal action will be taken against those found involved in such activities,” Senior Police Inspector Santosh Khetmalas said.

Inspector Khetmalas appealed to residents to immediately contact Kondhwa police if they receive information about drug sales in their neighbourhood. “The identity of citizens providing information about narcotics will be kept confidential,” he added.

The operations were carried out under the guidance of Additional Commissioner of Police for the Eastern Region Manoj Patil, Deputy Commissioner of Police, Zone 5, Rajlaxmi Shivankar, Assistant Commissioner of Police, Wanawadi Division, Ramdas Ingle, Senior Police Inspector Santosh Khetmalas, Police Inspector (Crime) Prashant Mandale and Police Inspector (Crime) Santosh Chaudhary.

The investigating team comprised Assistant Police Inspector Mahendra Doke, Police Sub-Inspectors Ravindra Gawade and Sagar Pawar, and police personnel Amol Hirve, Ravindra Chippa, Keshav Hirve, Karakhile, Amit Suryavanshi, Rashid Sheikh, Rahul Rasane, Riyaz Patel, Pushpendra Chavan, Prashant Khade, Shahid Rajput, Omkar Shote and Ravi Jadhav.

Printed from
THE TIMES OF INDIA

Dhule police seize 330kg of ganja worth Rs 82.5 lakh

Aug 31, 2026, 10.55 PM IST

Nashik: The Shirpur taluka police of Dhule district confiscated 330kg of ganja plants from forest land on Saturday, worth Rs82.5 lakh, which was being cultivated by a farmer in the crop of cotton. The police have arrested the farmer, after they received information about the cultivation of ganja plants in a remote forest area, while one of his associates managed to escape from the scene.

Senior officials of the Shirpur taluka police station raided the concerned village, under the guidance of senior officials on Sunday afternoon. During the operation, the police plucked all the ganja plants spread over two to three acres.

The police said that Shirpur taluka has vast areas of forest land under its jurisdiction, and the police station's jurisdiction also shares a boundary with Madhya Pradesh. Many times, the police have to walk through the jungles due to the absence of a motorable road.

Some people from the adjoining state also cross over into Shirpur taluka for ganja plantation and then return to their state. Thus, the police have to continuously work on intelligence gathering to get information about clandestine ganja plantation by the people there.

The police said that they were also planning to use drones to keep a check on ganja plantation in the forest areas. A case has been registered against the farmer and his associate, under a section of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act.

Officials said that last year, they had registered close to a dozen NDPS cases, and many of them were of ganja cultivation.

NORTH

District level NCORD Meeting held at Kathua

dailyexcelsior.com/district-level-ncord-meeting-held-at-kathua/amp

Daily Excelsior August 31, 2026

KATHUA, Aug 31: Deputy Commissioner Kathua Rajesh Sharma today chaired a meeting of the District-Level Narco Coordination Committee (NCORD) to review the drug control measures and assess the progress achieved by the concerned departments in combating the menace of narcotics in the district.

At the outset, the meeting undertook a detailed review of the action taken on the decisions of previous NCORD meetings, besides assessing the status of enforcement activities, identification of vulnerable areas and measures adopted to prevent drug abuse and illicit trafficking.

It was given out in the meeting that suspension/ cancellation of Vehicle Registration Certificates has been ensured by the Motor Vehicle Department of persons involved in illicit drug trafficking.

The Deputy Commissioner directed the concerned officers to further intensify coordinated efforts against the cultivation, trafficking and peddling of narcotic substances. He stressed upon the enforcement agencies to maintain close surveillance over vulnerable areas and ensure strict action against persons found involved in narcotics-related activities as per law.

Emphasizing the need for a comprehensive approach to tackle drug abuse, the DC directed the Health, Education, Social Welfare and other concerned departments to intensify awareness and sensitization programmes, particularly among youth and students, about the harmful effects of drug abuse.

He directed the stakeholders to ensure regular sharing of information and prompt follow-up action on inputs related to narcotics activities. He stressed that concerted efforts by all concerned departments are essential to effectively curb the drug menace and create a safer and healthier environment for the people of the district.

pioneered this shift, resulting in a dramatic drop in drug-related HIV transmissions, fewer overdose deaths, and reduced youth abuse rates.

Many other European countries quickly followed Portugal. Criminalisation of consumption has been replaced by non-criminal sanctions, ranging from fines to suspension of passports and driving licences. However, trafficking, by and large, remains a criminal offence.

Closer home, the Sikkim Anti-Drugs Act treats consumption primarily as a public health issue rather than a criminal justice issue. It provides individuals two opportunities to reform and uses criminal sanctions for the third offence only.

In contrast, Section 27 of the NDPS Act does not even distinguish between habitual users and a first-time experimenter. SADA looks at drug traffickers and individuals struggling with substance use disorder through totally different lenses.

There is thus a need to re-evaluate our approach towards the menace of drugs. Progress lies in treating substance use as a public health issue and decriminalising personal consumption.

Ludhiana: Khanna police demolish properties of drug peddlers

hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/ludhiana-khanna-police-demolish-properties-of-drug-peddlers-101788199420128-amp.html

HT Correspondent September 1, 2026

Khanna police on Monday carried out a demolition and cleanliness drive at 12 locations across Khanna, Samrala and Payal subdivisions as part of their crackdown on drugs, targeting three properties linked to drug-peddling cases and nine abandoned sites where complaints of drug consumption had been received.

The action was carried out on the directions of senior superintendent of police (SSP) Khanna Darpan Ahluwalia. Three properties associated with accused in drug-peddling cases were targeted during the drive. These included properties linked to brothers Manish and Rajnish Kumar of Ambedkar Colony, Samrala; Manpreet Chaudhary alias Bhima of Vishwakarma Road, Doraha; and Nikka of Meat Market, Khanna.

At nine abandoned locations, police teams, along with local residents, carried out cleanliness drives to clear spots that had allegedly become gathering places for drug users. In Samrala, the sites included the area behind the main chowk near a liquor shop, the old Market Committee office, Madi-Machhiwara Road and water tanks near Guru Gobind Singh Stadium and the bus stand.

In Payal, the teams cleaned spots at Dhamot and near the bus stand, while in Khanna, the drive covered Kartar Nagar and the Meat Market.

Legislators, Village Defence Committee coordinators and members, civil administration officials and employees, besides local residents, participated in the drive.

Ahluwalia said such enforcement and cleanliness drives would continue to curb drug trafficking and prevent abandoned sites from being used for drug consumption.

Habitual drug peddler detained under PIT-NDPS Act in J-K's Doda

theprint.in/india/habitual-drug-peddler-detained-under-pit-ndps-act-in-j-ks-doda/3030035

PTI August 31, 2026

Jammu, Aug 31 (PTI) A habitual drug peddler was detained under stringent PIT-NDPS Act in Jammu and Kashmir's Doda district on Monday, police said. In a related development, four peddlers were also arrested in Reasi district following recovery of over 10 grams of heroin during the day, the police said.

Imtiaz Ahmad, a habitual drug offender, was detained under the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (PIT-NDPS) Act in Doda district, a police spokesperson said.

Punjab: Ferozepur man nabbed with 2kg heroin procured from Pak

hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/punjab-ferozepur-man-nabbed-with-2kg-heroin-procured-from-pak-101788202841910-amp.html

HT Correspondent

September 1, 2026

The Border Security Force (BSF) and Ferozepur police arrested an alleged drug trafficker after recovering 2.26 kg heroin near the India-Pakistan border.

The accused, identified as Sukhwinder Singh, is a resident of Kilche village, Ferozepur, said police. His alleged associate, identified as Rajveer, alias Tari, also a resident of Kilche village, managed to flee from the spot. Police teams are conducting raids to arrest him.

According to preliminary investigation, the heroin was allegedly procured from Pakistani smugglers and was intended to be supplied further in the Indian hinterland.

Ferozepur superintendent of police (Investigation) Manjit Singh said the duo was booked under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act on the basis of a written report by Rajesh Kumar, assistant commandant, BSF Border Out Post, Kassoke.

Police are working to trace the accused’s backward and forward linkages to identify other people involved in the alleged drug network. Further investigation is underway.

Daughters will carry Torch of Awareness against Drug Abuse: Dr Dhan Singh Rawat

garhwalpost.in/daughters-will-carry-torch-of-awareness-against-drug-abuse-dr-dhan-singh-rawat

Garhwal Post August 31, 2026

Dehradun, 29 Aug: A 100-day anti-drug campaign will be conducted across Uttarakhand to keep the youth away from drug addiction and encourage them to engage in positive activities. As part of the campaign, the daughters of the state will carry the torch of awareness against drug abuse. During the campaign, students across educational institutions will be administered a pledge to stay away from drugs, while the general public will also be sensitised about the harmful effects of drug abuse.

State Minister, School Education, Technical Education and Higher Education, Dr Dhan Singh Rawat today launched a 100-day anti-drug campaign from MKP PG College, Dehradun. On the occasion, he said that drug abuse not only affects the energy, potential and future of young people but also weakens society from within. He said the state government has been continuously conducting awareness and public participation-based campaigns to protect youth from drug abuse.

Dr Rawat said that the campaign was being launched from MKP PG College with a special objective of enabling the daughters of the state to become powerful ambassadors of social awareness against drug abuse. He said the women of Uttarakhand have always brought about change through their strength, capabilities and social leadership. Therefore, the participation of female students in this campaign would be especially important. He said that over the next 100 days, extensive awareness programmes would be organized in schools and higher educational institutions, where students would be encouraged to take a pledge to lead a drug-free life.

During the programme, Dr Rawat appealed to teachers to educate students about the harmful effects of drug abuse and its social, mental and physical consequences. He said that protecting young people from drugs is not solely the responsibility of the government but a shared responsibility of families, educational institutions and society as a whole. He expressed confidence that with the united participation of youth, women, social organisations and spiritual institutions, the resolve to make Uttarakhand drug-free would certainly become a reality.

During the programme, Babita Didi of Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya inspired the youth to strengthen their lives through positive thoughts and healthy habits instead of becoming victims of addictions such as drug abuse. Neelam Didi conveyed the message of strengthening the mind and body through meditation and a spiritual lifestyle. Psychiatrist Dr Rohit Gondwal spoke in detail about the harmful effects of drug abuse and sensitized the youth about its mental and social consequences. The students also actively participated in the programme through an interactive dialogue.

Dr Mamta Singh, Principal of MKP PG College, said that just as a lamp dispels darkness and spreads light, the students of MKP PG College would become beacons of awareness against the darkness of drug abuse and play their part in building a healthy and empowered society.

During the programme, the college's Anti-Drug Cell organised a digital and handmade poster competition on the theme "Drug Abuse is a Curse". In the digital poster competition, Naina secured first place, Diksha second and Maryam Zaidi third. In the handmade poster competition, Anupriya secured first place, Ishita second and Vimla third.

In addition, students who excelled in the marathon organised by the Sports Committee included Saima Ansari, Kavita Rana, Divyanshi, Divya, Himani and Saraswati. Cabinet Minister Dr Dhan Singh Rawat presented prizes and certificates to all the winners.

During the programme, Dr Rawat administered an anti-drug pledge to students of MKP PG College, MIT, Heritage School and MKP Inter College, and called upon them to play an active role in building a drug-free, healthy and aware Uttarakhand.

The programme was conducted by Dr Elvy Das and Dr Puneet Saini.

16-year-old girl 'strangled' by father, wife alleges he is a drug addict

Sep 1, 2026, 12.41 AM IST

Hisar: A 16-year-old girl was allegedly strangled to death by her father at Kherekan village in Sirsa district on Saturday night. On the complaint of the girl's mother, Sadar police registered a murder case against the accused, Rakesh.

The incident took place around 8.30 pm. Police reached the spot after neighbours alerted them and sent the body to civil hospital, Sirsa, for postmortem.

According to the mother's complaint, Rakesh was addicted to drugs, frequently quarrelled with her over money and allegedly assaulted her. Police said he was unemployed and allegedly spent much of his time consuming drugs.

Investigators are examining the circumstances and possible motive behind the girl's death. Evidence has been collected from the scene and the postmortem report will also be taken into account.

The body was handed over to the family after the postmortem. Police said further action would follow based on the investigation.

पॉश कैफे से लेकर नाइट पार्टीज तक फैला एमडी का सिंडिकेट, ड्रग तस्करों के जाल में फंस रही यंग जनरेशन

lokmatnews.in/crime/md-syndicate-spans-from-posh-cafes-to-night-parties-young-generation-getting-ensnared-in-drug-traffickers-web-b628

आनंद शर्मा August 31, 2026

By आनंद शर्मा | Updated: August 31, 2026 20:15 IST

नागपुर: नाइटलाइफ, लेट-नाइट पार्टीज और 'कूल' दिखने के फितूर में उपराजधानी नागपुर की युवा पीढ़ी धीरे-धीरे एक बेहद खतरनाक दलदल में धंसती जा रही है. शहर की संकरी गलियों से लेकर पॉश कैफे-लाउंज तक मेफेड्रोन (एमडी) का नशीला खेल बेधड़क चल रहा है. नागपुर अब केवल ड्रग्स की खपत का ठिकाना नहीं रहा, बल्कि विदर्भ के अन्य जिलों के लिए एक बड़ा सप्लाई हब बन चुका है.

ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 7 महीनों में ही शहर पुलिस ने करीब 6 करोड़ रुपए मूल्य का एमडी ड्रग्स और संबंधित माल जब्त कर इस काले कारोबार की जड़ें हिला दी हैं. गौरतलब है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत एमडी ड्रग्स रखना, बेचना, खरीदना या इसका सेवन करना गैर-जमानती अपराध है. इसमें पकड़े जाने पर न सिर्फ करियर तबाह होता है, बल्कि लंबी जेल और भारी जुर्माने की सीधी सजा तय है.

पहले 'जस्ट अ ट्राई', फिर जिंदगी भर की लत

- शुरुआत में यह ड्रग केवल अपराधियों और अंडरवर्ल्ड तक सीमित था, लेकिन अब यह कॉलेज जाने वाले युवाओं और रईसजादों के बीच एक 'स्टेटस सिंबल' बन चुका है. तस्कर युवाओं की नब्ज पहचानते हैं और इसे 1100 से 2200 रुपए प्रति ग्राम की मनमानी कीमतों पर बेच रहे हैं. 'सिर्फ एक बार ट्राई करने' के नाम पर शुरू हुआ यह शौक कुछ ही दिनों में ऐसी लत बन जाता है, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाता है.

केमिकल कॉकटेल से मौत का पैगाम

मेफेड्रोन (4-मिथाइलमेथकैथिनोन) कोई प्राकृतिक नशा नहीं, बल्कि एक घातक सिंथेटिक स्टिमुलेंट है. इसे अवैध और बेहद असुरक्षित गुप्त लैब्स में जानलेवा औद्योगिक रसायनों और सॉल्वेंट्स को मिलाकर तैयार किया जाता है. ये तत्व इतने विषैले और ज्वलनशील होते हैं कि इनका सीधा असर इंसानी दिमाग के न्यूरो-सिस्टम पर पड़ता है. एमडी का नशा सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है. इसके सेवन से कुछ देर का भ्रमित सुख तो मिलता है, लेकिन बाद में डिप्रेशन, गंभीर मानसिक विकार और ऑर्गन फेलियर का खतरा पैदा हो जाता है.

कार्रवाई भी, जनजागृति भी

नागपुर शहर के सहायक पुलिस आयुक्त (क्राइम) वैभव जाधव ने कहा, 'मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार्यालय से प्राप्त सरकुलर के अनुसार भरोसा सेल, एनडीपीएस सेल, पुलिस स्टेशन के स्तर पर जागरूकता फैलाई जा रही है. साथ ही कार्रवाई भी हो रही है।'

NDPS: कांगड़ा में नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर होगी कारवाई, कब्जे हटेंगे

himachalnownews.com/ndps-kangra-drug-traffickers-illegal-properties-action.html

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन August 31, 2026

NDPS: कांगड़ा जिले में नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकारी भूमि पर नशा तस्करों के अवैध कब्जे और निर्माण भी हटाए जाएंगे। धर्मशाला में आयोजित एनकॉर्ड की जिला स्तरीय बैठक में उपायुक्त हेमराज बैरवा ने अधिकारियों को कार्रवाई तेज करने, नशा प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने तथा स्कूलों और पंचायतों में जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए।

धर्मशाला

एनआईसी सभागार में सोमवार को आयोजित राष्ट्रीय नार्को समन्वय पोर्टल यानी एनकॉर्ड की जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त हेमराज बैरवा ने की। बैठक में नशा तस्करी पर नियंत्रण, प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी, युवाओं को नशे से दूर रखने, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में प्रभावी कार्रवाई और पीआईटी-एनडीपीएस के प्रावधानों को लागू करने पर जोर दिया।

अवैध कब्जों और हॉटस्पॉट पर निगरानी

उपायुक्त ने कहा कि नशा तस्करों द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के मामलों में कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाए और अवैध निर्माण नियमानुसार हटाए जाएं। सभी एसडीएम को पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नशा प्रभावित क्षेत्रों में गठित नशा निवारण समितियों को सक्रिय करने, चिन्हित हॉटस्पॉट पर लगातार निगरानी रखने और स्थानीय सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए भी कहा गया।

स्वास्थ्य विभाग को डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, टांडा में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ओपिओयड सब्स्टीट्यूशन थेरेपी सेवाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने नशा मुक्ति उपचार और पुनर्वास व्यवस्था को मजबूत करने के साथ जेलों में बंद नशे से संबंधित आरोपियों की नियमित काउंसलिंग, उपचार और निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कानूनी कार्रवाई के साथ उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन पर भी समान ध्यान देने की आवश्यकता बताई।

स्कूलों और पंचायतों में बढ़ेगी जागरूकता

उपायुक्त ने सार्वजनिक स्थलों, बस अड्डों, अस्पतालों और नगर निकायों की एलईडी स्क्रीन पर 'नशा मुक्त हिमाचल' अभियान के संदेशों का प्रचार करने के निर्देश दिए। पंचायतों में विभिन्न विभागों के अधिकारी स्कूलों का नियमित दौरा कर विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेंगे। शिक्षा विभाग को विद्यालयों के प्रहरी क्लब सक्रिय करने और एसएएमवीएडी कार्यक्रम के तहत नियमित कार्यशालाएं, संवाद कार्यक्रम तथा काउंसलिंग सत्र आयोजित करने के लिए कहा गया।

विद्यालयों को परिसर या उसके आसपास नशे से संबंधित गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचित करने के निर्देश दिए गए। निजी नशा मुक्ति केंद्रों की नियमित जांच और उनकी कार्यप्रणाली के मासिक मूल्यांकन के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करने को भी कहा गया। उपायुक्त ने विभागों को गतिविधियों का नियमित दस्तावेजीकरण करते हुए आपसी समन्वय से काम करने तथा जनभागीदारी के माध्यम से 'नशा मुक्त कांगड़ा' अभियान को व्यापक स्वरूप देने पर जोर दिया।

पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने जिले में नशा निवारण के लिए चलाए जा रहे अभियानों और अब तक की कार्रवाइयों की जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में नगर निगम आयुक्त जफर इकबाल, पुलिस अधीक्षक देहरा संदीप धवल, पुलिस अधीक्षक नूरपुर इलमा अफरोज, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आबकारी, पंचायत और अन्य विभागों के अधिकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिले के एसडीएम, डीएसपी और बीएमओ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

गांजा तस्करी में दोषी को 3 साल का कठोर कारावास:शाजापुर कोर्ट ने गांजे के साथ पकड़ने पर सुनाई सजा

bhaskar.com/amp/local/mp/shajapur/news/shajapur-court-sentences-man-ganja-smuggling-case-138889378.html

दैनिक भास्कर

August 31, 2026

शाजापुर (उज्जैन)18 घंटे पहले

शाजापुर में गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) न्यायालय ने आरोपी देवेंद्रसिंह मेवाड़ा को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने सोमवार को उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक एवं शासकीय अभिभाषक महेंद्रसिंह परमार के अनुसार, यह मामला 1 जुलाई 2023 का है। शुजालपुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शुजालपुर-पचोर रोड पर गोकुलधाम कॉलोनी के गेट के सामने एक व्यक्ति सफेद प्लास्टिक की थैली में गांजा लेकर खड़ा है।

घेराबंदी कर पकड़ा

सूचना के आधार पर उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घेराबंदी कर देवेंद्रसिंह मेवाड़ा, पिता केदारसिंह मेवाड़ा, निवासी ग्राम टपका बसंतपुर, थाना शुजालपुर को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 5 किलो 990 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत प्रकरण दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया।

अभियोजन ने तर्क दिया कि मादक पदार्थों की तस्करी का समाज, विशेषकर युवाओं पर गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन तर्कों पर विचार करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से लोक अभियोजक एवं शासकीय अभिभाषक महेंद्रसिंह परमार ने पैरवी की। इस प्रकरण में प्रभावी अनुसंधान निरीक्षक सौरभ शर्मा द्वारा किया गया था।

पंजाब के अफीम डोडा चूरा तस्कर को 5 साल कारावास

bhaskar.com/local/rajasthan/jhalawar/bhawani-mandi/news/punjab-opium-doda-chura-smuggler-gets-5-years-imprisonment-dbp-138894252.html

दैनिक भास्कर September 1, 2026

भवानीमंडी| 20 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा तस्करी के करीब 9 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय भवानीमंडी ने पंजाब निवासी तस्कर को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को गलत नाम और पता बताने के मामले में आरोपी को 3 माह के अतिरिक्त कारावास से भी दंडित किया।

अपर लोक अभियोजक हेमराज शर्मा ने बताया कि मामला 31 अक्टूबर 2017 का है। भवानीमंडी पुलिस की टीम गश्त कर रही थी। शाम करीब 3:45 बजे नया बसस्टैंड के आगे एक व्यक्ति प्लास्टिक का कट्टा लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। संदेह होने पर पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर तलाशी ली तो कट्टे में 20 किलो अफीम डोडा चूरा मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया।

जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और सुनवाई के बाद न्यायालय ने जगदेव सिंह को दोषी माना। डोडा चूरा तस्करी में 5 साल का कठोर कारावास व 25 हजार रुपए अर्थदंड तथा गलत नाम बताने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक शर्मा ने पैरवी की। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस को अपना नाम बलजीत सिंह पुत्र बलजीत सिंह, निवासी जौया, थाना सदर पटियाला बताया था। अनुसंधान में यह पहचान गलत निकली। उसकी वास्तविक पहचान जगदेव सिंह पुत्र उजागर सिंह, निवासी पंजोला, थाना पटियाला पंजाब के रूप में हुई।

चरस तस्करी में नेपाली नागरिक को साढ़े तीन साल की कैद

amarujala.com/amp/himachal-pradesh/rampur-bushahar/nepali-national-sentenced-to-three-and-a-half-years-in-prison-for-charas-smuggling-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1035-168519-2026-08-31

शिमला ब्यूरो

August 31, 2026

रोहड़ू। चरस तस्करी के मामले में दोषी नेपाली नागरिक को विशेष न्यायालय रोहड़ू ने तीन वर्ष छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस के अनुसार, पुलिस थाना चिडगांव में 18 मार्च 2025 को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी विक्रम सिंह उर्फ वीरू निवासी रोल्पा, नेपाल के कब्जे से पुलिस ने 460 ग्राम चरस बरामद की थी। मामले की जांच पुलिस थाना चिडगांव की टीम ने की।

साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। विशेष न्यायाधीश रोहड़ू ने आरोपी को तीन वर्ष छह माह के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

STF का बड़ा ड्रग्स ऑपरेशन, 25 लाख की MDMA के साथ तीन गिरफ्तार

haldwaniexpressnews.com/stfs-big-drugs-operation-three-arrested-with-mdma-worth-rs-25-lakh

September 1, 2026

टनकपुर। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच STF की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कुमाऊं यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 244.06 ग्राम MDMA बरामद की है। STF के अनुसार बरामद MDMA की अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपये आंकी गई है।

संयुक्त कार्रवाई में कोतवाली टनकपुर पुलिस के सहयोग से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक TVS मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इसी क्रम में STF एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कुमाऊं यूनिट ने तकनीकी और मैनुअल इनपुट विकसित कर तस्करी से जुड़ी सटीक सूचना जुटाई। सूचना के आधार पर टनकपुर क्षेत्र में कोतवाली पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें तीनों आरोपियों को दबोच लिया गया।

एसटीएफ के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इमरान, आशीष और अभिषेक, सभी निवासी रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से कुल 244.06 ग्राम MDMA और एक TVS मोटरसाइकिल बरामद हुई है। STF का दावा है कि यह वर्ष 2026 में उत्तराखंड में अब तक की सबसे बड़ी MDMA बरामदगी है।

STF अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के साथ ही उनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की गहन जांच कर रही है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि MDMA की सप्लाई कहां से हुई और इसके पीछे कौन-कौन लोग सक्रिय हैं। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ और तकनीकी जांच के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।

मोगा में नशे के खिलाफ पुलिस की कारवाई:3 मामलों में 3 आरोपी गिरफ्तार, 190 नशीली गोलियां और 15 ग्राम हेरोइन बरामद

bhaskar.com/local/punjab/moga/news/moga-police-arrest-three-drug-peddlers-heroin-pills-seized-138891119.html

दैनिक भास्कर

August 31, 2026

नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मोगा पुलिस ने जिले में तीन अलग-अलग कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 190 नशीली गोलियां और 15 ग्राम हेरोइन बरामद की है। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं।

पहली कार्रवाई थाना धर्मकोट पुलिस ने 30 अगस्त को गांव अम्मीवाला क्षेत्र में की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांव लोहगढ़ निवासी जिंदर सिंह को गुरुद्वारा बाबा जीवन सिंह के पास से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 75 नशीली गोलियां बरामद हुईं। कार्रवाई थाना प्रभारी वीरपाल कौर के नेतृत्व में की गई।

पुलिस अधिकारी बोले- नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा

दूसरी कार्रवाई थाना सिटी साउथ मोगा पुलिस ने गांव मलियां वाला क्षेत्र में की। पुलिस ने गश्त के दौरान सरकार पत्ती चड़िक निवासी बलवंत सिंह उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया। उसके पास से 100 नशीली गोलियां बरामद हुईं। कार्रवाई एसआई सरताज सिंह के नेतृत्व में हुई।

वहीं, थाना कोट ईसे खां पुलिस ने जीरा-मोगा रोड पर सैम पुल, गांव बलखंडी के पास नाकाबंदी के दौरान गांव चिराग शाह वाला निवासी लखा सिंह को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 15 ग्राम हेरोइन और 30 नशीली गोलियां बरामद हुईं। कार्रवाई एसआई रमणदीप सिंह के नेतृत्व में की गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नशा तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सेलाकुई में 8.75 ग्राम स्मैक के साथ हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

livehindustan.com/national/story-seizure-of-8-75g-smack-history-sheeter-arrested-under-ndps-act-in-selakui-201788170317057.amp.html

Hindustan | Bureau

August 31, 2026

सेलाकुई। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत सेलाकुई पुलिस ने लेबर चौक के पास चेकिंग के दौरान एक हिस्ट्रीशीटर को 8.75 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 30 अगस्त को सेलाकुई पुलिस टीम लेबर चौक के पास संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान जब्बार पुत्र अब्दुल समद (42 वर्ष), निवासी जमनपुर, सेलाकुई को संदिग्ध परिस्थितियों में रोककर तलाशी ली गई।

उसके कब्जे से 8.75 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, जब्बार थाना सेलाकुई का ए श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ सेलाकुई समेत जनपद के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, चोरी और अन्य धाराओं में कुल 12 मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।

22 ग्राम हेरोइन और 15000 रुपए ड्रग मनी सहित काबू

bhaskar.com/local/punjab/fazilka/news/22-grams-of-heroin-and-rs-15000-drug-money-seized-dbp-138894959.html

दैनिक भास्कर

September 1, 2026

फाजिल्का | थाना सिटी पुलिस ने 22 ग्राम हेरोइन और 15000 रुपए ड्रग मनी सहित एक आरोपी को काबू किया है। जांच अधिकारी कुलवंत सिंह ने बताया कि गश्त के संबंध में पुलिस टीम रवाना थी, तभी दाना मंडी में बने शेड पास से सागर वासी डेरा सच्चा सौदा फाजिल्का को काबू कर लिया गया। तलाशी लेने पर उक्त आरोपी से 22 ग्राम हेरोइन, 15000 रुपए ड्रग मनी और एक एप्पल आईफोन प्रो मैक्स बरामद हुआ। पुलिस ने उक्त आरोपी पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

हेरोइन और नशीली गोलियों के साथ 3 गिरफ्तार

bhaskar.com/local/punjab/ludhiana/news/3-arrested-with-heroin-and-narcotic-pills-dbp-138892972.html

दैनिक भास्कर September 1, 2026

नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत शहर के अलग-अलग थानों की पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हेरोइन और नशीली गोलियां बरामद की हैं। दोनों मामलों में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

थाना टिब्बा पुलिस के सब इंस्पेक्टर जसप्रीत सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। इस दौरान गंदा नाला रोड, राधा स्वामी सत्संग घर के नजदीक एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया। शक होने पर पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 4 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

पुलिस ने आरोपी जीवन अरोड़ा पुत्र बलबीर सिंह निवासी न्यू गुरनाम नगर, अमृतसर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-61-85 के तहत केस दर्ज किया है। दूसरे मामले में थाना सलेम टाबरी पुलिस ने मेट्रो मॉल की बैंक साइड पैदल जा रहे दो युवकों को शक के आधार पर रोककर तलाशी ली।

तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 75 नशीली गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने करण सिंह पुत्र चरणजीत सिंह निवासी हजूरी बाग कॉलोनी, भट्ठियां, लुधियाना और मनीष कुमार पुत्र बलदेव सिंह निवासी गांव कासाबाद, ठाकुर कॉलोनी, लुधियाना को गिरफ्तार कर लिया।

जालंधर पुलिस ने 4 नशा तस्कर पकड़े:13 ग्राम हेरोइन और 2 एक्टिवा बरामद, CASO ऑपरेशन चलाया; कोर्ट में पेश कर लेंगे रिमांड

bhaskar.com/local/punjab/jalandhar/news/jalandhar-ramamandi-police-caso-heroin-smugglers-arrested-138895285.html

दैनिक भास्कर September 1, 2026

जालंधर में थाना रामा मंडी पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विभिन्न इलाकों में चलाए गए CASO (सर्च ऑपरेशन) के दौरान आरोपियों के कब्जे से 13 ग्राम हेरोइन और दो एक्टिवा स्कूटी बरामद की हैं।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि थाना रामा मंडी के प्रभारी इंस्पेक्टर जसपाल सिंह की देखरेख में SI सुखदेव सिंह की टीम ने बेअंत नगर, चुगिट्टी और आसपास के मोहल्लों में नाकेबंदी और सर्च ऑपरेशन चलाया।

पुलिस ने पहली कार्रवाई में नरेश कुमार उर्फ नैशा और गुरजीत सिंह को 7 ग्राम हेरोइन और एक्टिवा (PB08-EY-8616) के साथ गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं, दूसरी कार्रवाई में अरुण कुमार और संचित दुग्गल उर्फ जानू को 6 ग्राम हेरोइन और एक्टिवा (PB08-CM-9634) के साथ काबू किया गया।

कोर्ट में पेश पर रिमांड लेकर करेंगे पूछताछ

थाना रामा मंडी के प्रभारी इंस्पेक्टर जसपाल सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, ताकि नशे की आपूर्ति की इस श्रृंखला से जुड़े अन्य तस्करों के बारे में जानकारी हासिल कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सके।

हेरोइन तस्करी के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

bhaskar.com/local/haryana/ambala/news/two-accused-arrested-in-heroin-smuggling-case-dbp-138894561.html

दैनिक भास्कर September 1, 2026

अम्बाला | 6 घंटे पहले

अम्बाला | नशामुक्त हरियाणा अभियान के तहत अम्बाला पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को 50 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जतिन निवासी सुंदर नगर और गगन उर्फ गज्जी निवासी हिम्मतपुरा के रूप में हुई है।

दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सीआईए-1 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पीर माजरा, हिम्मतपुरा और दुधला रोड क्षेत्र में नाकाबंदी कर मोटरसाइकिल सवार दोनों आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली तो दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। दोनों के खिलाफ थाना पड़ाव में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हेरोइन सहित कार सवार दो आरोपियों को दबोचा

अ amarujala.com/haryana/bhiwani/two-accused-in-a-car-nabbed-with-heroin-bhiwani-news-c-125-1-shsr1009-156306-2026-09-01

अमर उजाला ब्यूरो August 31, 2026

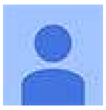

अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 01 Sep 2026 12:55 AM IST

भिवानी। सीआईए द्वितीय ने रविवार को बवानीखेड़ा में हेरोइन सहित कार सवार दो आरोपियों मोहित उर्फ गोलू और नितेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6.82 ग्राम हेरोइन बरामद कर स्विफ्ट डिजायर कार को कब्जे में ले लिया।

दोनों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। सीआईए द्वितीय के सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह 30 अगस्त को पुलिस टीम के साथ ड्यूटी पर बवानीखेड़ा में मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि बवानीखेड़ा से भिवानी की ओर हाईवे रोड पर पुल के नीचे दो व्यक्ति हेरोइन सहित बैठे हैं।

सूचना पर पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची। वहां स्विफ्ट डिजायर कार में सवार दो व्यक्तियों को काबू किया गया। पूछताछ में उनकी पहचान मोहित उर्फ गोलू निवासी गुजारनी, हाल निवासी विद्या नगर, भिवानी और नितेश निवासी बजरंगबली कॉलोनी, भिवानी के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 6.82 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर कार को भी कब्जे में ले लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत बवानीखेड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की है। जांच इकाई ने दोनों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जहां न्यायालय ने उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

रिमांड के दौरान आरोपियों से हेरोइन कहां से लाई गई थी और आगे किसे बेचनी थी, इसके अलावा नशे के नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी।

9.7 ग्राम स्मैक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार

अ amarujala.com/dehradun/female-smuggler-arrested-with-grams-of-smack-vikas-nagar-news-c-5-1-drn1089-1055301-2026-09-01

देहरादून ब्यूरो August 31, 2026

संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Tue, 01 Sep 2026 01:46 AM IST

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुंजा ग्रांट निवासी मुन्नी को रविवार रात पुलिस ने 9.7 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी महिला पूर्व में भी नशा तस्करी के मामले में जेल जा चुकी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। रात करीब 8:22 बजे कुंजा ग्रांट क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में उसने बताया कि वह स्मैक रुड़की से खरीदकर लाई थी और स्थानीय लोगों को बेचती थी, जिससे उसे मुनाफा होता था। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के दो प्राथमिकी दर्ज है। संवाद

5.5 लाख की स्मैक के साथ 2 गिरफ्तार:एक हिस्ट्रीशीटर सहित दोनों पहले भी जा चुके हैं जेल

bhaskar.com/local/uttarakhand/dehradun/rishikesh/news/dehradun-police-arrest-smack-smugglers-vikasnagar-drug-bust-138891588.html

दैनिक भास्कर August 31, 2026

देहरादून पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अभियान तेज करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक हिस्ट्रीशीटर भी शामिल है। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 18.45 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत साढ़े 5 लाख रुपए से अधिक है। दोनों आरोपी पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में जेल जा चुके हैं।

विकासनगर कोतवाली पुलिस ने 30 अगस्त को कुंजा ग्रांट क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 21 वर्षीय मुन्नी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 9.70 ग्राम स्मैक मिली, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई गई है।

पुलिस के अनुसार, मुन्नी यह स्मैक रुड़की से खरीदकर लाई थी और स्थानीय नशेड़ियों को बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में थी। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुन्नी के खिलाफ पहले भी मादक पदार्थ तस्करी का एक मामला दर्ज है।

इसी क्रम में, सेलाकुई पुलिस ने पुरानी चौकी लेबर चौक के पास से अब्बार पुत्र अब्दुल अहमद निवासी जमनपुर को पकड़ा। उसके कब्जे से 8.75 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत ढाई लाख रुपए से अधिक है।

पुलिस ने बताया कि अब्बार एक हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ नशा तस्करी, चोरी और आर्म्स एक्ट सहित कुल 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस एक्ट के कई मामले शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल आरोपियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

20 लाख की स्मैक के साथ 3 आरोपी पकड़े:100 ग्राम स्मैक, बाइक और डेढ़ लाख कैश जब्त; टोंक डीएसटी की कार्रवाई

bhaskar.com/local/rajasthan/tonk/news/tonk-drug-bust-dst-team-seizes-smack-cash-arrests-three-138892183.html

दैनिक भास्कर

August 31, 2026

टोंक DST टीम ने एक बार फिर नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में 20 लाख कीमत की करीब 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ तीन व्यक्तियों को पकड़ा है। इनके कब्जे से एक बाइक और खरीद फरोख्त की करीब डेढ़ लाख रुपए नगद राशि भी जब्त की है। यह कार्रवाई एसपी रोशन मीना के निर्देशन में की गई है।

डीएसटी प्रभारी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया किटोंक DST द्वारा नशे पर कड़ा प्रहार करते हुए पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास 3 आरोपी संदिग्ध नजर आए। डीएसटी टीम ने उनसे पूछताछ की तो वे डर गए और नाम पते बताने में झिझक पड़े। उनसे थोड़ा सख्ती से पूछताछ और उनकी तलाशी ली तो उनके पास करीब सौ ग्राम स्मैक मिली।

इसकी अंतरराष्ट्रीय अनुमानित कीमत बीस लाख रुपए की है। बाद में उनके कब्जे स्मैक, बाइक और डेढ़ लाख रुपए जब्त कर लिए। तीनों आरोपियों को पुरानी टोंक थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुरानी टोंक थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

दो आरोपियों को पुलिस टोंक थाना पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे आरोपी नाबालिक को निरुद्ध किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने दिलशाद (25) पुत्र हमीद निवासी काली पलटन टोंक, सुनील (18) पुत्र राम कल्याण निवासी अकलेरा (झालावाड़) को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे आरोपी नाबालिक को निरुद्ध किया है।

जेल में चिट्टा पहुंचाने वाले नेटवर्क पर कसा शिकंजा, पांचवीं गिरफ्तारी

amarujala.com/himachal-pradesh/hamirpur-hp/crackdown-on-network-smuggling-chitta-into-jail-fifth-arrest-made-hamirpur-hp-news-c-94-1-hmp1005-206786-2026-08-31

शिमला ब्यूरो September 1, 2026

संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 01 Sep 2026 11:23 AM IST

हमीरपुर। जिला कारागार हमीरपुर में चिट्टा और प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने के मामले में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए पांचवीं गिरफ्तारी की है। सदर पुलिस ने हमीरपुर शहर के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार उसकी संलिप्तता पहले पकड़े गए आरोपियों से सामने आई है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज है। मामला 15 जुलाई का है। सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर अज्ञात व्यक्ति ने एल्युमीनियम फॉयल में लिपटा पैकेट जेल परिसर में फेंक दिया था। कैदियों तक पहुंचने से पहले ही पैकेट पकड़ लिया गया।

तलाशी में करीब डेढ़ ग्राम चिट्टा, दो मोबाइल फोन, नशीले कैप्सूल व दवाइयां, बीड़ी, लाइटर और नकदी बरामद हुई थी। पांचवीं गिरफ्तारी के बाद जेल तक प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने वाले नेटवर्क और आरोपियों के बीच संपर्क की कड़ियों की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

पुलिस अब तक मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस ने हाल ही में चौथे आरोपी हमीरपुर निवासी राजेश उर्फ राका को गिरफ्तार किया था। राजेश पहले से 39 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में जिला कारागार में बंद था। पुलिस मामले में गहन जांच कर रही है। मामले में पांचवीं गिरफ्तारी हुई है। -बलवीर सिंह, एसपी हमीरपुर

45 ग्राम चिट्टा बरामद

bhaskar.com/local/punjab/malerkotla/news/45-grams-of-chitta-recovered-dbp-138894567.html

दैनिक भास्कर

September 1, 2026

मालेरकोटला| विभिन्न स्थानों से 45 ग्राम चिट्टा बरामद करके 4 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। थाना संदौड़ के सहायक थानेदार गुरशरण सिंह ने तीर्थ सिंह निवासी टिब्बा से 35 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। दूसरे मामले में थाना संदौड़ के सहायक थानेदार रजिंदर सिंह ने मोहम्मद सुल्तान व मोहम्मद सलीम से 6 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।

तीसरे मामले में थाना अमरगढ़ के सहायक थानेदार सुखविंदर सिंह ने निर्मल सिंह निवासी झूंदा से 4 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।

ढलियार में 9.30 ग्राम चिट्टे के साथ दो युवक गिरफ्तार

अ amarujala.com/himachal-pradesh/bilaspur/two-youths-arrested-in-dhaliyar-with-930-grams-of-chitta-bilaspur-news-c-92-1-bls1001-166683-2026-08-31

शिमला ब्यूरो August 31, 2026

शिमला ब्यूरो Updated Mon, 31 Aug 2026 11:41 PM IST

संवाद न्यूज एजेंसी बिलासपुर: जिला पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने फोरलेन पर ढलियार में चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो युवकों को 9.30 ग्राम चिट्टे (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस की टीम ढलियार फोरलेन पर नियमित चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवकों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 9.30 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों की पहचान धीरज शर्मा और सूरज, दोनों निवासी गांव एवं डाकघर पंजगाईं, तहसील सदर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पुलिस चिट्टे की सप्लाई से जुड़े बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाल रही है। इसका उद्देश्य नशे की खेप कहां से लाई गई और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था, इसकी जानकारी जुटाना है।

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस नशे की सप्लाई से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए मामले की गहनता से जांच कर रही है।

ब्राउन शुगर-शराब के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार

bhaskar.com/local/mp/vidisha/ganjbasoda/news/8-accused-arrested-with-brown-sugar-and-liquor-dbp-138893500.html

दैनिक भास्कर September 1, 2026

गंजबासौदा, 6 घंटे पहले

नशे के खिलाफ शहर में बढ़ते जनआक्रोश और मंगलवार को प्रस्तावित नशामुक्ति रैली के बीच पुलिस हरकत में आई है। सिटी थाना और गंजबासौदा देहात पुलिस ने संयुक्त रूप से अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर नशे के कारोबार पर शिकंजा कसा।

कार्रवाई में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर 18 ग्राम ब्राउन शुगर, 117 लीटर अवैध देशी शराब और 30 लीटर कच्ची जहरीली शराब, 500 एबल के इंजेक्शन सहित 70 सेरेन्जे जब्त की है। जब्त मशरूके की अनुमानित कीमत करीब 7.75 लाख रुपए बताई गई है। एसडीओपी शिखा भलावी के अनुसार, शहर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छह आरोपियों को पकड़ा।

ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार रामकुमार पटेल को पुरानी गल्ला मंडी के पास से 8.30 ग्राम और प्यारेलाल अहिरवार को लाल पठार ओवरब्रिज के नीचे से 9.66 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

इसी तरह, मनीष अहिरवार को हरदूखेड़ी रोड पुलिया के पास छह पेटी देशी शराब के साथ पकड़ा गया। संतोष अहिरवार, संजीव अहिरवार और अम्मू उर्फ अमन को अलग-अलग स्थानों से पांच-पांच लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। देहात पुलिस ने भी कार्रवाई की। ईदगाह रोड निवासी भैरोसिंह भोई और वीरसिंह परिहार को जेल रोड स्थित शनि मंदिर के पास से पांच-पांच लीटर कच्ची जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार किया।

नशे के खिलाफ इंदौर पुलिस का बड़ा एक्शन, 58.84 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त कर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

mpbreakingnews.in/indore/indore-police-drug-crackdown-brown-sugar-seized-5-accused-arrested-4556-920903

Shyam Dwivedi August 31, 2026

इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दो अलग-अलग मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 58.84 ग्राम ब्राउन शुगर और दो मोटरसाइकिलें जब्त की हैं।

इंदौर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। नशे के सौदागरों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। इसी बीच, क्राइम ब्रांच पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में 5 आरोपियों को दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपये की ब्राउन शुगर भी बरामद की गई है। इस कार्रवाई की जानकारी पुलिस उपायुक्त (DCP) राजेश त्रिपाठी ने दी।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से कुल 58.84 ग्राम ब्राउन शुगर और दो मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जब्त किए गए कुल मशरूके की कीमत करीब 5 लाख 40 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज लिया है एवं आगे की कार्रवाई जारी है।

ये भी पढ़ें

डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस विभाग द्वारा चेकिंग अभियाल चलाया जा रहा है। इसी दौरान क्राइम ब्रांच की टीम एमआर-10 क्षेत्र में पहुंची जहां पर दो बाइकों पर चार व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बैठे दिखाई दिए। टीम ने तत्काल ही संदिग्धों से पूछताछ की।

39.95 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा पूछताछ किए जाने पर संदिग्धों ने अपने नाम अभिजीत, चंद्रशेखर, विशेष और गोपाल बताए है। इसके बाद उनकी तलाशी ली गई। उनके पास से 39.95 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद हुई। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया एवं वाहनों को भी जब्त कर लिया।

दूसरी कार्रवाई में आरोपी 18.89 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार

डीसीपी क्राइम राजेश त्रिपाठी ने दूसरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि दूसरी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच ने राहुल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 18.89 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद की गई है। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी अलग-अलग मामलों में कई अपराध दर्ज हैं। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर नशे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।

ब्राउन शुगर और 32 मोबाइल के साथ 11 आरोपी गिरफ्तार:गंजबासौदा में नशा माफिया पर बड़ी कार्रवाई; अपाचे बाइक और 147 लीटर शराब जब्त

bhaskar.com/local/mp/vidisha/ganjbasoda/news/ganjbasoda-police-action-nasha-mafia-arrest-liquor-brown-sugar-seized-138891574.html

दैनिक भास्कर 31 August 2026

गंजबासौदा | 15 घंटे पहले

विदिशा जिले की गंजबासौदा पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 18 ग्राम ब्राउन शुगर, 147 लीटर अवैध शराब (117 लीटर देशी व 30 लीटर जहरीली कच्ची शराब), 32 टच मोबाइल और एक अपाचे मोटरसाइकिल जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत करीब 9 लाख रुपए है।

ब्राउन शुगर और 32 मोबाइल के साथ धराए आरोपी

पुलिस के अनुसार, पुरानी गल्ला मंडी के पास से रामकुमार पटेल को 8.30 ग्राम ब्राउन शुगर और 32 टच मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं लाल पठार ओवरब्रिज के नीचे से प्यारेलाल अहिरवार को 9.66 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

देशी और जहरीली शराब पर भी बड़ी स्ट्राइक

अवैध शराब तस्करी मामले में मनीष अहिरवार से 6 पेटी देशी शराब और अर्पित झा से 63 लीटर देसी शराब के साथ अपाचे बाइक जब्त की गई।

इसके अलावा नया बस स्टैंड, रेलवे ब्रिज, विसंबरा कॉलोनी और ईदगाह रोड क्षेत्र से संतोष, संजीव, अम्मू उर्फ अमन, भैरोसिंह, वीरसिंह, विक्रम और जितेंद्र को कच्ची जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

473 ग्राम अवैध अफीम बरामद, तस्कर गिरफ्तार:अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत एक लाख रुपये आंकी गई

bhaskar.com/local/uttar-pradesh/bareilly/patparaganj/news/visharatganj-police-arrest-smuggler-opium-seizure-bareilly-news-138896338.html

दैनिक भास्कर

September 1, 2026

रितेश वर्मा | पटपरागंज (मझगवा), बरेली, 36 मिनट पहले

विशारतगंज पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी को 473 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब ₹1 लाख बताई गई है।

पुलिस को 30 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति स्कूटी से अफीम लेकर कहीं जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अलीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पटपरागंज निवासी भगवान दास पुत्र देशपाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की उम्र करीब 50 वर्ष है।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 473 ग्राम अवैध अफीम बरामद की। उसके खिलाफ थाना विशारतगंज में मुकदमा संख्या 157/2026, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्रेस नोट में यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ अलीगंज थाने में भी पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं।

पूछताछ के दौरान आरोपी भगवान दास ने पुलिस को बताया कि वह अफीम सस्ते दामों पर खरीदकर अलग-अलग स्थानों पर महंगे दामों में बेचता था। इससे मिलने वाली रकम का उपयोग वह अपने और परिवार के खर्चों के लिए करता था। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार चतुर्वेदी, उप निरीक्षक वीर सिंह, हेड कांस्टेबल मोहसिन शर्मा, कांस्टेबल छत्रपाल, कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह और कांस्टेबल नीरज कुमार शामिल थे।

सांचौर में घर की अलमारी से अफीम बरामद:एएनटीएफ की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, NDPS एक्ट में केस

bhaskar.com/local/rajasthan/jalore/news/sanchor-antf-raid-opium-seizure-arrest-devila-dhamana-138896459.html

दैनिक भास्कर

September 1, 2026

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की सूचना पर सांचौर थाना क्षेत्र के धमाणा गांव में पुलिस ने एक मकान पर कार्रवाई की। तलाशी के दौरान कमरे में रखी अलमारी से 301 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। पुलिस ने मामले में धमाणा निवासी देवीलाल (47) पुत्र सुजाराम को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

घर में अफीम छिपाकर रखने की मिली थी सूचना

एएनटीएफ को सूचना मिली थी कि देवीलाल अपने रिहायशी मकान में अवैध अफीम छिपाकर रखता है और उसकी खरीद-फरोख्त करता है। सूचना की पुष्टि के बाद एएनटीएफ टीम ने आरोपी को उसके घर से दस्तयाब किया और सांचौर पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया।

अलमारी की तलाशी में मिली अफीम

पुलिस के पहुंचने के बाद मकान की तलाशी ली गई। इस दौरान एक कमरे में रखी अलमारी की जांच करने पर उसमें अवैध अफीम मिली। वजन करने पर अफीम की मात्रा 301 ग्राम पाई गई। पुलिस ने अफीम जब्त कर देवीलाल को गिरफ्तार कर लिया।

एएनटीएफ और सांचौर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

कार्रवाई में एएनटीएफ टीम के साथ सांचौर पुलिस की भी विशेष भूमिका रही। एएनटीएफ महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने कार्रवाई में शामिल टीम की सराहना की। उन्होंने बताया कि बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को विशेष कार्यक्रम के दौरान एएनटीएफ मुख्यालय में सम्मानित किया जाएगा।

सूचना देने वाले की पहचान रखी जाएगी गोपनीय

एएनटीएफ ने आमजन से मादक पदार्थों की तस्करी और अपराधियों से जुड़ी जानकारी साझा करने की अपील की है। ऐसी सूचना एएनटीएफ नियंत्रण कक्ष नंबर 0141-2502877 और वाट्सऐप नंबर 9261225056 पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

950 ग्राम अफीम के साथ 2 आरोपी पकड़ाए!

mediawala.in/major-action-by-ratlam-police-2-accused-arrested-with-950-grams-of-opium

Mediawala September 1, 2026

Ratlam : जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, खरीद-फरोख्त एवं परिवहन के खिलाफ रतलाम पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना रिंगनोद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 950 ग्राम अवैध अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अफीम के अलावा घटना में प्रयुक्त टीवीएस स्टार सिटी मोटरसाइकिल भी जब्त की है। जब्त मशरूके की कुल कीमत करीब 2 लाख 10 हजार रुपए बताई गई है।

पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं क्रय-विक्रय करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रिंगनोद पुलिस को मुखबिर से अवैध मादक पदार्थ के परिवहन की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस टीम ने बोरवनी फंटा, असावती यात्री प्रतीक्षालय के सामने नाकाबंदी की। इस दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को रोककर उनकी तलाशी ली।

तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से 950 ग्राम

▼ पढ़ना जारी रखें
अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद हुई। पुलिस ने मौके से अफीम तथा परिवहन में प्रयुक्त टीवीएस स्टार सिटी मोटरसाइकिल क्रमांक MP14 NC 5460 जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने बरामद अफीम की अनुमानित कीमत 1 लाख 50 हजार रुपए तथा मोटरसाइकिल की कीमत करीब 60 हजार रुपए बताई है। इस प्रकार पुलिस द्वारा कुल 2 लाख 10 हजार रुपए का मशरूका जब्त किया गया।

मामले में थाना रिंगनोद पर अपराध क्रमांक 356/2026 के तहत धारा 8/18, 29 एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों से मादक पदार्थ की उपलब्धता, खरीद-फरोख्त एवं परिवहन से जुड़े अन्य पहलुओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी!

हरीश 21 पिता मोहनलाल मालवीय निवासी नागखजुरी, थाना सीतामऊ, जिला मंदसौर, विकास 20 पिता ईश्वरलाल सोलंकी, जाति नट निवासी नागखजुरी, थाना सीतामऊ, जिला मंदसौर।

पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका!

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी रिंगनोद आनंद सिंह आजाद एवं थाना रिंगनोद पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना जारी है तथा अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही हैं!

अटरू पुलिस की अवैध मादक पदार्थ पर कारवाई:20.800 किलो अफीम डोडा-चूरा जब्त, अंधेरी नदी पुलिया पर नाकाबंदी में दो तस्कर गिरफ्तार

bhaskar.com/local/rajasthan/baran/atru/news/ataru-police-drug-bust-opium-seized-smugglers-arrested-138890766.html

दैनिक भास्कर

August 31, 2026

अटरू | 16 घंटे पहले

अटरू पुलिस ने अवैध गतिविधियों और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अंधेरी नदी पुलिया के पास से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को 20 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम डोडा-चूरा के साथ गिरफ्तार किया है। तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया।

थानाधिकारी अटरू अशोक कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने नाकाबंदी के दौरान इन मोटरसाइकिल सवार आरोपियों को रोका और तलाशी ली।

तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 20 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम डोडा-चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने विक्रम मीणा (20), पुत्र बलराम मीणा और महावीर मीणा (22), पुत्र रामसिंह मीणा को गिरफ्तार किया है।

दोनों आरोपियों के खिलाफ अटरू पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। मामले की अग्रिम जांच पुलिस निरीक्षक एवं थानाधिकारी थाना कवाई, राजपाल सिंह को सौंपी गई है।

इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक कमलसिंह, सहायक उपनिरीक्षक बाबूलाल, कांस्टेबल पर्वतसिंह, रविन्द्र कुमार और अशोक कुमार शामिल रहे।

रिमांड में आरोपी ने खोला सप्लायर का राज:2.53 किलो चरस और 680 ग्राम अफीम बरामद; झज्जर CIA ने पकड़ा था

bhaskar.com/local/haryana/jhajjar/news/jhajjar-cia-drug-bust-charas-opium-seized-gurugram-arrest-138892464.html

दैनिक भास्कर

August 31, 2026

झज्जर में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीआईए झज्जर ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी की निशानदेही पर 2 किलो 530 ग्राम चरस और 680 ग्राम अफीम बरामद की है। बरामद नशीले पदार्थ की अनुमानित कीमत 4.50 लाख रुपये से अधिक बताई गई है। पुलिस के अनुसार यह बरामदगी आरोपी से रिमांड के दौरान की गई पूछताछ के आधार पर गुरुग्राम से हुई।

सीआईए झज्जर की टीम ने इससे पहले हिमाचल प्रदेश निवासी काहन सिंह को 1 किलो 35 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने उसे एक दिन के रिमांड पर लिया था।

पूछताछ में सामने आई अहम जानकारी

रिमांड के दौरान उप निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में मिली जानकारी और आरोपी की निशानदेही पर टीम ने गुरुग्राम में कार्रवाई की। यहां से 2.530 किलोग्राम चरस और 680 ग्राम अफीम बरामद की गई।

जांच के दौरान पुलिस के सामने आया कि आरोपी का एक साथी गुरुग्राम में किराये पर रहता था। पुलिस के अनुसार इसी साथी ने आरोपी को नशीला पदार्थ उपलब्ध करवाया था।

सप्लायर की तलाश में जुटी पुलिस

सीआईए झज्जर अब मामले में शामिल दूसरे व्यक्ति की पहचान और उसके ठिकाने का पता लगाने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जांच के दौरान नशीले पदार्थ की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

न्यायिक हिरासत में भेजा आरोपी

सीआईए झज्जर प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि डीसीपी क्राइम शुभम सिंह के दिशा-निर्देशन में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आरोपी काहन सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।

पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान हुई पूछताछ के आधार पर की गई बरामदगी से नशे की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अब पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास कर रही है।

अवैध चरस के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा:स्कूटी से परिवहन करते हुए गिरफ्तार, वाहन भी जब्त

bhaskar.com/local/uttarakhand/tehri-garhwal-tehri/news/ghansali-police-arrest-man-charas-seizure-tehri-drug-bust-138889367.html

दैनिक भास्कर

August 31, 2026

घनसाली पुलिस ने चमियाला-बूढ़ाकेदार सड़क मार्ग पर एक व्यक्ति को 374 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी स्कूटी से चरस का परिवहन कर रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के निर्देश पर टिहरी जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में, घनसाली पुलिस चमियाला-बूढ़ाकेदार सड़क मार्ग पर जंगलात नर्सरी के पास गश्त कर रही थी।

चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को एक स्कूटी (UK 07 DG 6987) संदिग्ध लगी। तलाशी लेने पर स्कूटी की डिग्गी से 374 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। पुलिस ने मौके से अभियुक्त मोर सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

अभियुक्त मोर सिंह के खिलाफ थाना घनसाली में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20/60 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उसे न्यायालय में पेश किया गया। मादक पदार्थ के परिवहन में इस्तेमाल की गई ग्रे रंग की स्कूटी (UK 07 DG 6987) को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।

थाना उप निरीक्षक दिनेश बल्लभ ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त मोर सिंह ग्राम रतोली अनेठी, पोस्ट खण्डोगी, तहसील जाखणीधार, थाना हिंडोलाखाल का निवासी है।

कांधला में 500 ग्राम चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार:पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा

bhaskar.com/local/uttar-pradesh/shamli/kandhla/news/kandhla-police-arrest-inam-charas-smuggling-case-138889498.html

दैनिक भास्कर

August 31, 2026

नासिर | कांधला, शामली19 घंटे पहले

कांधला पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पकड़े गए अभियुक्त की पहचान कस्बे की नई बस्ती निवासी इनाम पुत्र कामिल के रूप में हुई है। कांधला थाना प्रभारी निरीक्षक बच्चू सिंह ने बताया कि पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी।

इसी दौरान संदिग्ध अवस्था में घूम रहे अभियुक्त को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद हुई।

पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

मेडिकल स्टोर संचालक के घर से ट्रामाडोल बरामद:एसओटीएफ कुमाऊं ने 9480 कैप्सूल जब्त किए, औषधि निरीक्षक टीम भी शामिल

bhaskar.com/local/uttarakhand/udham-singh-nagar-rudrapur/news/rudrapur-sotf-kumaon-raid-illegal-drugs-tramadol-seized-138887960.html

दैनिक भास्कर 31 August 2026

ऊधम सिंह नगर जनपद में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल ऑपरेशन टास्क फोर्स (एसओटीएफ) कुमाऊं परिक्षेत्र ने बड़ी कार्रवाई की है। एसओटीएफ की संयुक्त टीम ने थाना पुलभट्टा क्षेत्र के बरा में एक मेडिकल स्टोर संचालक के घर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की हैं। कार्रवाई के दौरान टीम को ट्रामाडोल के कुल 9480 कैप्सूल मिले हैं।

पुलिस के अनुसार, उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव और पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र के निर्देश पर प्रदेशभर में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 30 अगस्त 2026 को एसओटीएफ कुमाऊं परिक्षेत्र की टीम को क्षेत्र में नशीली दवाओं के कारोबार से संबंधित गोपनीय सूचना मिली थी।

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, एसओटीएफ टीम ने वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नीरज कुमार के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की। टीम ने थाना पुलभट्टा क्षेत्रांतर्गत बरा स्थित भूमिका मेडिकल स्टोर के फर्म स्वामी मोहन स्वरूप पुत्र चंद्रसेन के घर पर पहुंचकर जांच की। तलाशी के दौरान टीम को वहां से ट्रामाडोल के 9480 कैप्सूल बरामद हुए। इतनी बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं की बरामदगी के बाद पुलिस और औषधि विभाग ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

एसओटीएफ की इस कार्रवाई को कुमाऊं मंडल में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद ट्रामाडोल कैप्सूल कहां से लाए गए थे और इन्हें किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। साथ ही, मेडिकल स्टोर से संबंधित दस्तावेजों और दवाओं की खरीद-फरोख्त के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।

एसओटीएफ और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बाद क्षेत्र में नशीली दवाओं का कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। मामले में बरामद दवाओं की जांच और संबंधित कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

बस्तर में 28 लाख का 56 किलो गांजा जब्त:एक ओडिशा से स्कूटी से ला रहा था, दूसरे ने जमीन गाड़ा था, दोनों गिरफ्तार

bhaskar.com/local/chhattisgarh/bastar/jagdalpur/news/bastar-ganja-smuggling-arrest-police-action-jagdalpur-138895286.html

दैनिक भास्कर September 1, 2026

बस्तर में गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले दो दिनों में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में करीब 56 किलो गांजा जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कुल कीमत करीब 28 लाख 7 हजार रुपए बताई गई है।

पहले मामले में आरोपी ओडिशा से स्कूटी पर गांजा लेकर जगदलपुर आ रहा था, जिसे आड़ावाल रेलवे फाटक के पास पकड़ा गया। दूसरे मामले में आरोपी ने करीब 42 किलो गांजा अपने घर के आंगन की बाड़ी में जमीन के अंदर प्लास्टिक ड्रम में और घर के अंदर बोरी में छिपाकर रखा था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

पहला मामला- स्कूटी से गांजा लेकर जगदलपुर आ रहा था आरोपी

बोधघाट पुलिस को 30 अगस्त की सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नीले रंग की स्कूटी (CG 17 KX 3018) से ओडिशा से नानगुर होते हुए आड़ावाल रेलवे फाटक की तरफ से जगदलपुर आ रहा है। उसके पास सफेद बोरी में गांजा रखा है और वह इसे बिक्री के लिए लेकर जा रहा है।

सूचना के बाद पुलिस टीम ने रेलवे फाटक के पास MCP कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान संदिग्ध स्कूटी को रोककर चालक से पूछताछ की गई। उसने अपना नाम लखमू नाग (33), निवासी कावापाल नाका पारा, थाना नानगुर, जिला बस्तर बताया।

तलाशी के दौरान स्कूटी में रखी सफेद बोरी से 14.144 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक इसकी कीमत 7 लाख 7 हजार 200 रुपए है। इसके अलावा आरोपी के पास से एक पुराना वीवो मोबाइल, नीले रंग की स्कूटी और 500 रुपए नगद भी जब्त किए गए। जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 7 लाख 42 हजार 200 रुपए बताई गई है।

दूसरा मामला- घर के आंगन में गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर छिपाया था गांजा

दूसरी कार्रवाई करपावंड थाना क्षेत्र के छतौड़ी गांव में 31 अगस्त को की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव का लालू प्रसाद बघेल (25) अपने घर में बिक्री के लिए गांजा छिपाकर रखा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम गांव पहुंची और आरोपी के घर की तलाशी ली।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने घर के आंगन की बाड़ी में गड्ढा खोदकर उसमें प्लास्टिक ड्रम जमीन के अंदर दबा रखा था। इस ड्रम में गांजा रखा गया था। इसके अलावा घर के अंदर एक सफेद बोरी में भी गांजा छिपाकर रखा गया था।

पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में दोनों स्थानों से करीब 42 किलो गांजा जब्त किया। इसकी कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी के पास से एक पुराना टच स्क्रीन मोबाइल और 1200 रुपए नकद भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी गांजा बिक्री के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

SP बोले- नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी

पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। SP का कहना है कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

पहले मामले में बोधघाट थाना प्रभारी निरीक्षक टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम किया। वहीं दूसरे मामले में करपावंड थाना प्रभारी निरीक्षक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में टीम ने भारी मात्रा में गांजा की खेप बरामद की है।

गांजा तस्करी में तीसरी गिरफ्तारी, 16 लाख का गांजा जब्त:पुलिस ओडिशा से आरोपी को बालाघाट लाई, नेटवर्क की जांच जारी

bhaskar.com/local/mp/balaghat/news/balaghat-ganja-smuggling-arrest-odisha-accused-police-investigation-138890968.html

दैनिक भास्कर

August 31, 2026

बालाघाट पुलिस ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में तीसरी गिरफ्तारी की है। सोमवार को ओडिशा के बरगढ़ जिले के पाईकमल थाना क्षेत्र के मांडोसिल निवासी महेंद्र मलिक (42) को गिरफ्तार किया गया।

उसके पास से 16 लाख रुपए मूल्य का 31.570 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। चांगोटोला पुलिस ने यह गिरफ्तारी पहले से रिमांड पर लिए गए आरोपी जयकुमार नायक से पूछताछ के बाद की।

पहले ये हुए थे गिरफ्तार

यह मामला 25 अगस्त को शुरू हुआ था, जब चांगोटोला पुलिस ने थाना क्षेत्र के पाद्रीगंज स्थित आरआरआर ठाकुर ब्रदर्स ढाबे से दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उनके पिट्ठू बैग से अलग-अलग प्लास्टिक की पॉलीथीन में रखा अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला था। पुलिस ने तब ओडिशा के झारबंध थाना अंतर्गत संकरी निवासी जयकुमार पिता कांतिलाल नायक (34) और दुलामनी पिता राजेश गुआल (26) को गिरफ्तार किया था।

मौके पर मिला था 11 लाख का गांजा

शुरुआत में, पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के पास से 11 लाख 14 हजार रुपए मूल्य का 22 किलो 290 ग्राम गांजा बरामद किया था। दोनों को पुलिस रिमांड पर लिया गया था, जिसमें जयकुमार से पूछताछ के दौरान महेंद्र मलिक के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम ओडिशा पहुंची और महेंद्र मलिक को पकड़कर बालाघाट लाई। सोमवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

चांगोटोला थाना प्रभारी के अनुसार, पुलिस अब गांजे के मुख्य स्रोत का पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही, आरोपियों के गांजा सप्लाई नेटवर्क, उनसे जुड़े अन्य लोगों और पूरी सप्लाई चेन के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।

जशपुर में 60 किलो गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार:कार में छिपाकर ओडिशा से यूपी ले जा रहा था तस्कर, 40 लाख का सामान जब्त

bhaskar.com/local/chhattisgarh/jashpur/news/jashpur-odisha-up-ganja-smuggling-arrest-police-action-crime-138890713.html

दैनिक भास्कर

August 31, 2026

जशपुर जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन आघात के तहत बागबहार पुलिस ने गांधी चौक के पास घेराबंदी कर एक वैन्यू कार से करीब 60 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त की है। गांजा और वाहन की कुल कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई गई है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, 31 अगस्त की सुबह करीब 4 से 5 बजे टेक्निकल टीम और मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा की तरफ से एक वैन्यू कार में बड़ी मात्रा में गांजा लेकर तस्कर उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई। इसके बाद बागबहार पुलिस ने संभावित रास्तों पर नाकाबंदी शुरू कर दी।

गांधी चौक पर कार रोकी, डिक्की से 60 पैकेट मिले

गांधी चौक बागबहार के पास पुलिस को संदिग्ध वैन्यू कार UP-91-U 6302 दिखाई दी। घेराबंदी कर कार को रोका गया। चालक से पूछताछ में उसने अपना नाम विकास चौधरी (27) बताया। वह मूल रूप से समस्तीपुर, बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में रहता है।

गवाहों की मौजूदगी में कार की तलाशी ली गई। डिक्की से प्लास्टिक टेप में लिपटे 60 पैकेट मिले। जांच करने पर इनमें करीब 60 किलो गांजा बरामद हुआ।

ओडिशा से लेकर यूपी जा रहा था

शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह गांजा ओडिशा से लेकर उत्तर प्रदेश जा रहा था। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गांजा उसे किसने दिया था और यूपी में किस व्यक्ति तक इसकी डिलीवरी होनी थी। पुलिस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

40 लाख रुपए की जब्ती

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 30 लाख रुपए कीमत का 60 किलो गांजा और करीब 10 लाख रुपए कीमत की वैन्यू कार जब्त की है। कुल जब्ती करीब 40 लाख रुपए बताई गई है। बागबहार थाने में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

SSP बोले- नशे के नेटवर्क को जड़ से तलाशेंगे

जशपुर SSP डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि नशे के खिलाफ ऑपरेशन आघात लगातार जारी है। मुखबिर तंत्र और तकनीकी संसाधनों की मदद से नशे के कारोबार पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले की एंड-टू-एंड जांच की जा रही है और नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

EAST

Man from Sikkim arrested with brown sugar at a lodge near Siliguri Junction

siliguritimes.com/man-from-sikkim-arrested-with-brown-sugar-at-a-lodge-near-siliguri-junction

Siliguri Times August 31, 2026

Siliguri, 31st August: Police arrested a man from Sikkim after allegedly recovering brown sugar worth lakhs of rupees from a lodge room near Siliguri Junction. The arrested accused has been identified as 40-year-old Yuvraj Chhetri, a resident of Gangtok, Sikkim. He is reportedly a driver by profession.

According to police sources, Yuvraj Chhetri had arrived in Siliguri from Sikkim on Sunday and checked into the lodge near Siliguri Junction as a passenger. On Monday afternoon, acting on confidential information, a plainclothes police team led by Pradhan Nagar Police Station IC BD Sarkar conducted a raid at the lodge room.

During the search, police allegedly recovered a packet of brown sugar from Yuvraj Chhetri. The seized substance is reportedly valued at lakhs of rupees.

During preliminary questioning, police suspect that Yuvraj used to collect brown sugar in Siliguri and smuggle it to Sikkim. According to police sources, he would receive deliveries of brown sugar at hotels or lodges.

Police suspect that Yuvraj had come to Siliguri from Sikkim this time to collect a consignment and was preparing to return to Sikkim before being arrested.

Police will produce the accused before the Siliguri court on Tuesday. Investigators are trying to determine who delivered the brown sugar to Yuvraj at the lodge and who else may be involved in the alleged network.

Printed from
THE TIMES OF INDIA

620 bottles of codeine cough syrup seized in Sambalpur, 2 held

Aug 31, 2026, 06.39 PM IST

Sambalpur: The Thelkoloi police seized 620 bottles of codeine-based cough syrup and arrested two persons during a pre-dawn raid in Sambalpur district on Sunday. Two of their associates, however, managed to escape.
Police identified the arrested duo as Asish Sahu (20) and Raju Badal (22), both residents of Tileimal village under Thelkoloi police station limits.

Acting on a tip-off about the transportation of contraband cough syrup from Sambalpur towards Thelkoloi, a police team intercepted an SUV near Satgochhia Chowk on Volvo Road around 4:55 am on Aug 30.
During the search, police recovered 620 bottles of cough syrup (100 ml each). The vehicle used for transportation, three mobile phones and Rs 5,500 in cash were also seized.

Investigators suspect the consignment was being transported for illegal sale and distribution in Thelkoloi and nearby areas ahead of the festive season.

A case has been registered under Section 21(b) of the NDPS Act at Thelkoloi police station. Efforts are on to trace the two absconding suspects, while further investigation is underway.

3.19 किलो अफीम तस्करी में तीनों को 15-15 साल की सजा

livehindustan.com/national/story-ranchi-court-sentences-three-drug-traffickers-to-15-years-for-3-190-kg-opium-smuggling-201788186334914.amp.html

Hindustan | Bureau August 31, 2026

रांची, विशेष संवाददाता। न्यायायुक्त सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अनिल मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने 3.190 किलो अफीम तस्करी के मामले में सोमवार को तीनों आरोपियों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीनों को छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले में एनसीबी के विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने अदालत के समक्ष सात गवाह प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान और एनसीबी की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

इसके बाद अदालत ने तीनों को 15-15 वर्ष के कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एनसीबी रांची सब-जोन ने 9 जुलाई 2021 को ओरमांझी टोल प्लाजा के पास गुप्त सूचना के आधार पर रांची से हजारीबाग जा रही एसी बस (जेएच02एडब्ल्यू-5829) को रोका था।

तलाशी के दौरान चतरा निवासी छोटू डांगी उर्फ ललन डांगी और नरेश कुमार के पास से नीले-धूसर रंग के बैग में रखी प्लास्टिक की पुड़िया से 3.190 किलो अफीम बरामद की गई थी। मामले की जांच के दौरान खूंटी निवासी महेंद्र मुंडा को कथित आपूर्तिकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया गया था।

दोमोहनी में 5.16 ग्राम स्मैक बरामद, तस्कर फरार

bhaskar.com/local/bihar/purnia/news/516-grams-of-smack-recovered-in-domohani-smuggler-absconding-dbp-138892531.html

दैनिक भास्कर

September 1, 2026

बैसा | 6 घंटे पहले

रौटा थाना क्षेत्र के दोमोहनी गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 5.16 ग्राम स्मैक जैसा पदार्थ बरामद किया। पुलिस को देखते ही मौके पर मौजूद तस्कर बाइक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने नीले रंग की टीवीएस अपाचे बाइक, स्मैक जैसा पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, जालीदार डिब्बी और कैंची जब्त की।

फरार आरोपी की पहचान दोमोहनी निवासी प्यारु उर्फ मो. फिरोज के रूप में हुई है। अपर थानाध्यक्ष समीर कुमार पांडेय ने बताया कि सूचना मिली थी कि प्यारु उर्फ मो. फिरोज मीरपुर चौक से करीब 100 मीटर पश्चिम नंदनिया मौजा स्थित खान साहब की बांसबाड़ी के पास बाइक से स्मैक बेचने की फिराक में है।

सूचना का सत्यापन कर वरीय पुलिस पदाधिकारियों को जानकारी दी गई। इसके बाद छापेमारी दल गठित किया गया। बैसा के सीओ गोपाल कुमार को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया।

पुलिस के पहुंचते ही आरोपी बाइक छोड़कर फरार हो गया।

स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार बाइक और नकदी भी जब्त

bhaskar.com/local/bihar/katihar/news/smuggler-arrested-with-smack-bike-and-cash-also-seized-dbp-138893156.html

दैनिक भास्कर

September 1, 2026

कदवा थाना क्षेत्र के कुर्सेल पंचायत अंतर्गत सोनापुर कालदेही में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 27.23 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने उसके पास से 35,060 रुपए नकद, एक बाइक, मोबाइल, चार्जर, आधार कार्ड, चाकू और इलेक्ट्रिक तराजू बरामद किया। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस टीम गठित की गई थी। सीओ पिंटू कुमार को मजिस्ट्रेट बनाकर टीम को मौके पर तैनात किया गया। कुछ पुलिसकर्मी सड़क पर वाहन जांच कर रहे थे ।

इसी दौरान बाइक सवार युवक पुलिस चेकिंग देखकर बाइक मोड़कर भागने लगा। शक के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बैग में स्मैक होने की बात स्वीकार की। गिरफ्तार युवक की पहचान मो. एजाज, पिता मो. सफीक, निवासी सोनापुर कालदेही के रूप में हुई है।

मुशहरी में महिला ड्रग पेडलर गिरफ्तार:199 पुड़िया स्मैक, 74 पुड़िया गांजा और ₹36 हजार कैश बरामद

bhaskar.com/local/bihar/muzaffarpur/mushahari/news/mushahari-woman-drug-peddler-arrested-ganja-smack-seized-138890148.html

दैनिक भास्कर August 31, 2026

कन्हैया लाल सिंह | मुशहरी(मुजफ्फरपुर), मुजफ्फरपुर17 घंटे पहले

मुशहरी थाना क्षेत्र के बेदौलिया गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 170 ग्राम गांजा और 70 ग्राम स्मैक बरामद किया। गिरफ्तार महिला की पहचान बीदौलिया गांव निवासी रतन साहनी की पत्नी रूपा देवी उर्फ नेहा कुमारी के रूप में हुई है।

बरामद गांजा 74 पुड़िया में पैक था, जबकि स्मैक को 199 पुड़िया में रखा गया था। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने महिला के पास से 36,350 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रविवार शाम को गुप्त सूचना के आधार पर की गई। थानाध्यक्ष सुबोध कुमार मेहता के नेतृत्व में पुलिस अवर निरीक्षक जय किशोर सिंह, संध्या कुमारी और अन्य पुलिसकर्मी इस छापेमारी दल में शामिल थे।

गिरफ्तारी के बाद, महिला का सोमवार को मुशहरी पीएचसी में मेडिकल जांच कराया गया। इसके उपरांत उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एसडीपीओ-2 ने बताया कि मुशहरी पुलिस द्वारा गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई है और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार

bhaskar.com/local/bihar/nalanda/bihar-sharif/news/smuggler-arrested-with-brown-sugar-dbp-138892756.html

दैनिक भास्कर September 1, 2026

लहेरी थाना पुलिस ने मामू-भगिना मोड़ के पास रविवार की देर शाम कार्रवाई कर ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर सोहसराय के आशा नगर निवासी ऋषि कुमार का पुत्र रवीश कुमार है। उसके पास से 5 ग्राम 220 मिलीग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई जारी है।

इंडो-नेपाल बॉर्डर पर 50 ग्राम ब्राउन शुगर संग दो धराए

livehindustan.com/bihar/madhubani/story-police-arrest-tempo-driver-and-two-dealers-with-50-grams-of-brown-sugar-in-jaynagar-201788196899265.amp.html

Hindustan | Bureau

August 31, 2026

Madhubani News: जयनगर। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कमलावाड़ी के निकट छापेमारी कर टेंपो ड्राइवर व 50 ग्राम ब्राउनशुगर समेत दो धंधेबाज को पकड़ा गया। टेंपो योगिया से जयनगर की ओर आ रही थी। थानाध्यक्ष रमण कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित भेलवाटोल निवासी है तथा टेंपो ड्राइवर कमलारोड निवासी बताया गया है।

गिरफ्तार युवक बालिग है या नाबालिग इसका सत्यापन किया जा रहा है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। छापेमारी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पैंथर मोबाइल टीम के राहुल, कुमार, श्याम कुमार ,उत्तम कुमार समेत अन्य पुलिस दल शामिल थे।

किशनगंज में ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार:कीमत 10 लाख रुपए, घर से नकदी और इलेक्ट्रॉनिक तराजू मिला, सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू

bhaskar.com/local/bihar/kishanganj/news/kishanganj-woman-arrested-brown-sugar-drug-smuggling-raid-138891635.html

दैनिक भास्कर

August 31, 2026

किशनगंज (बिहार)14 घंटे पहले

किशनगंज पुलिस ने जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है।

गलगलिया थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये बताई जा रही है।

पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के तहत पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गलगलिया थाना क्षेत्र के लकड़ीडिपो निवासी सबाना खातुन (44), पति मो. मुस्ताक, अपने घर में ब्राउन शुगर का भंडारण और उसकी खरीद-बिक्री कर रही है।

बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच की जा रही इस सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2 मनोज कुमार के नेतृत्व में एएनटीएफ टीम और गलगलिया थाना पुलिस की एक संयुक्त टीम गठित की गई।

गठित टीम ने सबाना खातुन के घर पर विधिवत छापेमारी की और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 50 ग्राम ब्राउन शुगर (हेरोइन), 750 रुपये नकद और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया।

बरामदगी के बाद महिला को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया है कि वह अपने घर में मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री करती थी।

पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की पहचान करने में जुट गई है। बरामद मादक पदार्थ के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच की जा रही है,

ताकि यह पता चल सके कि नशीले पदार्थ की आपूर्ति कहां से हो रही थी और इसकी बिक्री किन लोगों तक की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, इस धंधे से अर्जित अवैध संपत्ति का पता लगाकर उसे जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

तस्करी के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा

इस मामले में गलगलिया थाना में कांड संख्या-85/26 दर्ज कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(सी) एवं 21(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

प्रतिबंधित दवा बेच रहे दुकानदार दबोचे:निशा मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग की कार्रवाई, ट्रामाडोल-डायजेपाम युक्त दवाएं बरामद

bhaskar.com/local/bihar/motihari/news/motihari-nisha-medical-store-drug-department-raid-tramadol-diazepam-138891628.html

दैनिक भास्कर

August 31, 2026

मोतिहारी के संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र में ड्रग विभाग ने निशा मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की है। मधुबनी मठ के पास वार्ड नंबर-3 स्थित इस दुकान से विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधित दवाएं और इंजेक्शन बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान दुकानदार कन्हैया कुमार पंडित को गिरफ्तार किया गया।

ड्रग इंस्पेक्टर सागर मणि सोनी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में दुकानदार कन्हैया कुमार पंडित वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। दुकान की तलाशी के दौरान ट्रामाडोल और डायजेपाम युक्त दवाएं मिलीं।

बिना लाइसेंस के बेची जा रही थीं दवाएं

बरामद दवाओं में Pyeevon Spas Plus, Spasmo-Proxyvon Plus और Diazepam Injection I.P. (Steppam) शामिल हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि ये दवाएं बिना लाइसेंस के बेची जा रही थीं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्रग इंस्पेक्टर ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि, किन धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, यह पुलिस आवेदन और आगे की जांच के बाद स्पष्ट होगा।

दवाओं के खरीद स्रोत और आपूर्ति की जांच शुरू

पूछताछ में दुकानदार कन्हैया कुमार पंडित ने बताया कि उसने ये दवाएं कोटवा स्थित अभिषेक ड्रग और गणेश मेडिकल से खरीदी थीं। इसके बाद ड्रग विभाग ने दवाओं के खरीद स्रोत और आपूर्ति नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है।

विभाग अब यह सत्यापित करेगा कि संबंधित दवाओं की खरीद के बिल उपलब्ध हैं या नहीं, दवाओं की आपूर्ति नियमों के अनुसार हुई थी या नहीं और बिक्री से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड संधारित किए गए थे या नहीं। अभिषेक ड्रग और गणेश मेडिकल की भूमिका पर अंतिम निष्कर्ष दस्तावेजों के सत्यापन और विभागीय जांच के बाद ही सामने आएगा।

बरामद दवाओं की वास्तविक मात्रा दर्ज

ड्रग विभाग द्वारा दुकान से बरामद दवाओं की वास्तविक मात्रा, संख्या, बैच नंबर और अन्य विवरण जब्ती सूची में दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही स्टॉक रजिस्टर, खरीद-बिक्री के बिल, चिकित्सकीय पर्चे और लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों की भी गहन जांच की जाएगी।

इस संबंध में थाने में आवेदन देने की प्रक्रिया जारी है।

बाइक की सीट के नीचे गुप्त तहखाना:रक्सौल में नेपाल से 7 किलो गांजा लेकर पहुंचे 2 तस्कर पकड़े गए, कई इलाकों में होनी थी सप्लाई

bhaskar.com/local/bihar/motihari/raxaul/news/raxaul-nepal-ganja-smuggling-arrest-motorcycle-police-raid-138891002.html

दैनिक भास्कर

August 31, 2026

रक्सौल, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)17 घंटे पहले

रक्सौल पुलिस ने नेपाल से भारत में गांजा तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से मोटरसाइकिल की सीट के नीचे बने गुप्त तहखाने से करीब 7 किलोग्राम गांजा बरामद किया।

तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।

गुप्त सूचना पर लक्ष्मीपुर चेक पोस्ट में शुरू हुई जांच

थानाध्यक्ष रमेश कुमार महतो ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल की ओर से गांजा की एक खेप मोटरसाइकिल के जरिए भारत लाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर एसआई विकास कुमार पासवान और अजय कुमार सहित पुलिस जवानों की एक टीम गठित की गई।

टीम ने लक्ष्मीपुर चेक पोस्ट पर वाहन जांच शुरू की। इसी दौरान नेपाल से भारत आ रही मोटरसाइकिल संख्या बीआर-05-एबी-6389 को रोका गया। चालक और सवार से पूछताछ के बाद वाहन की तलाशी ली गई।

सीट के नीचे मिला गुप्त तहखाना

गहन जांच के दौरान मोटरसाइकिल की सीट के नीचे एक गुप्त तहखाना मिला। पुलिस ने तहखाने को खोलकर जांच की तो उसमें छिपाकर रखा करीब 7 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया।

बिहार के विभिन्न इलाकों में सप्लाई की थी तैयारी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दरपा थाना क्षेत्र के भूखलहिया गांव निवासी चंदेश्वर महतो कुशवाहा, पिता भगवान महतो कुशवाहा और नेपाल के पोखरिया थाना क्षेत्र के विश्रामपुर गांव निवासी मदन राउत, पिता काली राउत के रूप में हुई है।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि यह गांजा नेपाल के मकवानपुर से लाकर बिहार के विभिन्न इलाकों में सप्लाई किया जाना था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह खेप नेपाल में किससे ली गई थी और भारत में इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।

तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश

तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। पुलिस ने बरामद गांजा और मोटरसाइकिल को जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस की इस कार्रवाई से सीमा क्षेत्र में सक्रिय तस्करों में हड़कंप मच गया है।

सत्यमेव जयते

स्वापक NARCOTICS नियंत्रण CONTROL ब्यूरो BUREAU

भारत INDIA

आसूचना प्रवर्तन समन्वय

INTELLIGENCE ENFORCEMENT COORDINATION

Narcotics Control Bureau, Govt. of India

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार

Do you have a tip for NCB? Call on toll free number 1933 (24x7 : National Narcotics Helpline)

Join Us

narcoticsindia.nic.in narcoticsbureau ncbmanas narcoticscontrolbureauindia india.ncb

Narcotics control Bureau narcotics-control-bureau narcotics-control-bureau-india